राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का बाईसवां दिवस संख्या : 16

मंगलवार;

28 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना जारी)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चल सकता। जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोगों ने अराजकता का माहौल बना रखा है, इस सदन की पूरी मर्यादा ...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

नरेगा कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्वति हेतु कार्य योजना

279. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनेकों शिकायतें मिल रही हैं, जिनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाने से योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता हो रही है? यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

(2) प्रदेश में उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं तथा सही क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण मय जारी आदेशों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) : (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायतों के मुख्य कारण निम्न हैं:-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

पारदर्शिता का अभाव

भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के प्रकरणों में योजना के आरम्भ होने के वर्ष 2006-07 में त्वरित गति से कड़ी कार्यवाही न होना।

योजना के आरम्भ से ही प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण का अभाव रहा है।

पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव।

योजना में प्राप्त शिकायतों की त्वरित जानकारी/निस्तारण हेतु कई उपाय किये गए हैं :-

वरिष्ठ अधिकारियों जैसे- जिला प्रभारी सचिव, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के द्वारा निरीक्षण हेतु मापदण्ड का निर्धारण एवं उनकी समीक्षा।

नरेगा हैल्प लाइन नम्बर 1077 (टोल फ्री) का शुभारम्भ।

जिला कलक्टर कार्यालय, जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय पर शिकायत/सुझाव पेटी की स्थापना।

शिकायत की त्वरित गति एवं निष्पक्षता से जांच हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों को राज्य स्तरीय 53 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना।

सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सुधार।

स्टाफ की कमी ने भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावित किया है, इस समस्या के निदान हेतु 11315 नये नियमित कार्मिकों के नियोजन का निर्णय किया गया है।

तकनीकी कार्यों के तखमीने समय पर बने व मांग के अनुसार बने इस हेतु अतिरिक्त तकनीकी अभियन्ताओं को जोड़ा जा रहा है।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से आन्तरिक लेखा दलों का गठन किया जा रहा है व कम्प्यूटर दक्ष लेखा सहायकों को ग्राम पंचायत में लगाया जा रहा है।

(2) समय पर 5-5 के समूह में श्रमिकों का नियोजन, माप एवं भुगतान का नहीं होना। वित्तीय अनियमितता, फर्जी जॉब कार्ड, कार्यों का पूर्ण

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

नहीं होना आदि। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं। मुख्य-मुख्य आदेशों की प्रति परिशिष्ट 1 से 4 पर संलग्न है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान) बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान) बिल्कुल नहीं बोलना ...(व्यवधान) हम समझ ही नहीं रहे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, यह तो चलेगा नहीं, बिलकुल नहीं चलेगा। (व्यवधान) जिन लोगों ने सत्तर-सत्तर +++ है, जिनके हाथ +++ आज वह नाटक कर रहे हैं इस सदन के अन्दर आकर के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया सुनें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चाताप करना चाहिए। यह लोग +++ हैं गुर्जरों के जिन्होंने राजस्थान में गुर्जरों के ऊपर इक्कीस बार पुलिस फायरिंग की, आज यह अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए बैठे हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, 157, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव रख रहा हूं ...(व्यवधान) विशेषाधिकार हनन की सूचना देना चाहता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, निवेदन है सदन का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तीन-चार दिन से भारी व्यवधान के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय सदस्य अपनी जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सारे सदस्य ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कराओ एक्स रे, एक्स रे कराओ। कोई बहाना नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वह कल ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी महिला विधायकों के साथ जिस बर्बरता के साथ कल व्यवहार हुआ है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जो अधिकारी ...(व्यवधान)

(श्री रामनारायण मीणा)

जिनका उनके खिलाफ कोई ...(व्यवधान) आपने बताया है कि पांच के समूह ...(व्यवधान) श्रमिकों को काम देना चाहते हैं ...(व्यवधान) जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत तीन-चार दिन से भारी व्यवधान के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्षजी, सदन के सदस्य अपनी जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ...(व्यवधान) सरकार के गृह मंत्री ...(व्यवधान) और व्यवधान कर रहे हैं। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ...(व्यवधान) शायद इस सरकार को ...(व्यवधान)... बजट से सम्बन्धत अनुदान की मांगें बिना चर्चा के पारित कर दी गयीं ...(व्यवधान) कृपया माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रिया के नियम 157, 158 के तहत ...(व्यवधान) घनश्याम तिवाड़ी, गुलाबचन्दजी कटारिया, राजेन्द्र राठौड़, कालीचरण सराफ सदस्यों के विरुद्ध ...(व्यवधान) और इस सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना देता हूं ...(व्यवधान)

उक्त विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पखवाड़ा कार्य ...(व्यवधान) रोजगार ...(व्यवधान) कार्य कर रहे श्रमिकों की अलग सूची ...(व्यवधान) अधिकारी के कार्यकाल में तीन दिवस में ग्राम रोजगार ...(व्यवधान) ग्राम सेवक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दी ...(व्यवधान) अधिकारी के निर्णय के अनुसार भुगतान प्राप्त करें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्षजी, विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर पूरा सदन आपकी व्यवस्था चाहता है, आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमने दिया है अभी भी वह उसी तरह का कृत्य कर रहे हैं, पूरा सदन देख रहा है, पिछले तीन दिनों से इन्होंने माहौल खराब कर रखा है ...(व्यवधान) रोकना चाहते हैं तो हम इनको नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान) हम तो इनको सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): स्टाफ भी इस कार्य के लिए लगाया जा सकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पंचायतों पर एक कनिष्ठ अभियन्ता लगाने का मापदण्ड निर्धारित है,... (व्यवधान) देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या करूं ...(व्यवधान) क्या करूं ...(व्यवधान) क्या करूं। अंकित नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.08 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर के शोर-शराबा)

मांग

विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर कार्यवाही की मांग

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 158 के तहत इन तीनों सदस्यों को सदन से बाहर निकाला जाये। इन्होंने सदन की गरिमा का अपमान किया है, हमारे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर हम व्यवस्था चाहते हैं। आप व्यवस्था देकर के इन तीनों को बाहर निकलवायें जिन्होंने सदन को अपमान किया है। 157, 158 के तहत घनश्यामजी तिवाड़ी, गुलाब चन्दजी कटारिया, राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया हुआ है। उस प्रस्ताव के तहत आप इन तीनों सदस्यों को बाहर निकलवायें। यह सदन की गरिमा का सवाल है। आप इन सबको एक वर्ष के लिए निष्कासित कीजिये। हमारा अनुरोध है कि पिछले तीन दिन से सदन की कार्यवाही इन्होंने रोक रखी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जिन लोगों ने सदन की कार्यवाही रोकी है, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन तीनों सदस्यों को आप बाहर निकलवायें ...(व्यवधान) हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है ...(व्यवधान) हम आपसे अनुरोध करेंगे ...(व्यवधान) घनश्यामजी तिवाड़ी, राजेन्द्र राठौड़ और गुलाब चन्दजी कटारिया को सदन से बाहर निकालें ...(व्यवधान) इन लोगों ने तीन दिन से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अशोक पींचा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के 13 जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण वितरण का कार्य बड़ौदा (राजस्थान) ग्रामीण बैंक द्वारा 15 जून, 2009 से बन्द कर देने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

2. श्री बनवारी लाल सिंघल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जैन धर्म के अनुयायियों के पर्यूषण पर्व पर कत्लखानों को बन्द रखने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री अशोक पींचा एवं श्री बनवारीलाल सिंघल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1. श्री किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से महिला पालिटेक्निक कालेज शिक्षकों के लिए ए आई सी टी ई वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में।

2. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के जनाना अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के बी सी ए एवं बी बी ए संकाय के अन्तिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

4. श्री महेन्द्र चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में खनिज विभाग के ठेकेदारों द्वारा बजरी रायल्टी में की जा रही अनियमित वसूली के सम्बन्ध में।

5. श्री कैलाश चन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जावर एवं कालीखाड़ पेयजल योजनाओं में कतिपय गांवों को और शामिल करने के सम्बन्ध में।

6. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से जिला स्तरीय बाजार दर निर्धारण (डी एल सी) समिति की बैठक में उप पंजीयक, बीकानेर व उप महानिरीक्षक, बीकानेर के द्वारा गलत सूचना देकर भूमि दर का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नागदी बांध की नहरों को पक्का करने एवं नागदी नदी के जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

8. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल कस्बे को जिला मुख्यालय अलवर से सीधा सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से गांव अढ़ावली, तहसील डीग की आराजी खसरा नम्बर 40 गैर मुमकिन सिवाय चक पहाड़ी भूमि पर बलदेववास गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के नगरपालिका एवं 20 गांवों में जंगली गायों एवं सूअरों द्वारा खेती को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा निर्मित कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू के विद्युत संकट को दूर करने के लिए कतिपय गांवों में 33 के वी ए सब स्टेशन चाकसू करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अशोक पींचा, श्री अशोक पींचा। श्री बनवारीलाल सिंघल, श्री बनवारीलाल सिंघल।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेषज्ञ उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

आज दिनांक 28 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 5 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई।

1. श्री हबीबुर्रहमान, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री अमराराम, राजस्थान विश्वविद्यालय में एम बी ए की परीक्षाओं में फेल होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध प्रवेश देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री शाले मोहम्मद, विधान सभा क्षेत्र पोकरण में प्रसिद्ध देवस्थान रामदेवरा की ...(व्यवधान) परिक्रमा क्षेत्र घोषित करवाने एवं बाबा रामदेव मंदिर परिसर स्थित राम सरोवर को विकसित करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री पेमाराम, धोद विधान सभा क्षेत्र में बने नलकूप, पाइप के अभाव में जनता के काम में नहीं आने एवं सीकर जिले में निर्मित ट्यूबवैलों पर विद्युत कनेक्शन जोड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर परिसर स्थित राम सरोवर का विकास

श्री हबीबुर्रहमान, श्री हबीबुर्रहमान। (अनुपस्थित)

श्री अमराराम, श्री अमराराम। (अनुपस्थित)

श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण और मेरे जैसलमेर जिले के सबसे बड़े पर्यटन स्थल और सबसे बड़े धार्मिल स्थल जहां राजस्थान ही नहीं पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग पहुंचते हैं। मेरा पर्यटन मंत्रीजी और देव स्थान मंत्रीजी, दोनों से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि बाबा रामदेव का जो स्थल है एवं उसके परिसर में जो राम सरोवर है उसका योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं होता तो मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में वहां जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में बाबा रामदेव के मंदिर परिसर में जो राम सरोवर तालाब है उसका योजनाबद्ध तरीके से और अच्छा विकास कराया जाए ताकि वहां जो श्रद्धालु आते हैं वह उसका पूरा लाभ ले सकें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम, श्री पेमाराम।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) सदन की मेज पर रखती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (छठा प्रतिवेदन)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, मुख्य सचेतक।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2009 को मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने पांचवे प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 28 जुलाई, 2009 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 28 जलाई, 2009	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009; 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2009; एवं 3. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009; पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009, श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 पर विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्लिप नहीं आई, स्लिप नहीं आई। दोनों ओर से कोई

(श्री अध्यक्ष)

स्लिप नहीं मिली है नामों की। मुझे नामों के लिए कोई सूचना नहीं मिली है। श्री अशोक गहलोत।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारी मन से सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजट बनाने की प्रक्रिया कितनी लम्बी और जटिल है, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) से लेकर, उच्चतम स्तर तक के सभी अधिकारियों एवं मंत्रिमण्डल के सदस्यों का सक्रिय योगदान होता है। इस बिन्दु का यहां पर उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बजट पारित कराने में हमारी विधायिका (Legislature) की भूमिका को भी समझा जा सके। मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं।

..(व्यवधान)

(माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(वक्तव्य की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या (4) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं। (व्यवधान) कोई संशोधन नहीं है। (व्यवधान) कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं है। कोई संशोधन नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान) कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान) यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 12 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान) यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त्त विधेयक, 2009 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

कटौती प्रस्ताव पूर्व व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये माने जाते है और मंत्री के उत्तर बिना मांगे पारित करना पूर्व परम्परानुसार विधि सम्मत है

दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं उनके पारण के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए अपनाई गई प्रक्रिया को नियमान्तर्गत नहीं बताया है और निम्न बिन्दुओं पर आसन से व्यवस्था चाही है:-

1. अनुदान की मांगों पर चर्चा हो गई किन्तु इन पर मंत्रीगण का राज्य सरकार की ओर से उत्तर नहीं हुआ।

2. मंत्रीगण द्वारा उनके विभागों के सम्बन्ध में घोषणाएं भी नहीं की गई, यह जानकारी सदन में आनी चाहिए थी जिससे यह सदन वंचित रहा है।

3. माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का क्या हुआ? सामान्यतया या तो कटौती प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाते हैं या क्या मंत्री महोदय के उत्तर के अभाव में उन्हें स्वीकार किया हुआ मान लिया गया? यदि ऐसा हुआ तो कटौती प्रस्तावों की राशि बजट की राशि में जोड़कर पुनः विधान सभा द्वारा पारित की जानी चाहिए।

4. मंत्रीगण के उत्तर के बिना आसन द्वारा मांगें मतदान हेतु रखी गई थीं तत्समय प्रक्रिया नियमों में मत विभाजन के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार मत विभाजन की मांग किये जाने पर भी मत विभाजन की मांग को नजरअंदाज किया गया जब कि नियमानुसार डिवीजन करवाया जाना चाहिए था।

5. मंत्री अपने उत्तर के बाद सदन से मांगें पारित किये जाने हेतु अनुरोध करता है वह उनके द्वारा नहीं किया गया। उसके अभाव में मांगें पारित कर दी गईं जो परम्पराओं के विपरीत हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय विधायक द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 4 के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कल की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहूंगा। मांग संख्या-28, मांग संख्या-50 व मांग संख्या 30 पर वाद-विवाद पूर्ण होने के पश्चात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री को अपने-अपने विभागों पर हुई चर्चा का उत्तर देना चाहिए था।

आसन की ओर से नाम पुकारे जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देने हेतु खड़े भी हुए, लेकिन उसी समय भाजपा विधायक दल के उप नेता ने मंत्रियों की ओर से लिखित उत्तर देने पर

(श्री अध्यक्ष)

एतराज करने का प्रश्न उपस्थित किया। आसन की ओर से उनकी बात सुनी गयी और संसदीय मामलात मंत्री के भी इस सम्बन्ध में विचार जानने चाहे। ज्यों ही संसदीय मामलात के मंत्री खड़े हुए जैसा कि आपको विदित है प्रतिपक्ष के सदस्यों ने व्यवधान उपस्थित किया जिसके कारण मंत्रीगणों का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया और आसन की ओर से अनुदान की मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत कर दी गईं।

यह कोई पहला अवसर नहीं है, इससे पूर्व में भी कई बार व्यवधान होने की स्थिति में मांगें बिना उत्तर के पारित की गई हैं। इसका ताजा उदाहरण दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास बिना मंत्री के उत्तर के सदन में तत्समय हुए व्यवधान के कारण पारित कर दी गई थी।

ऐसा इससे पूर्व में भी अनेक अवसरों पर हुआ है। कल सदन में ऐसा ही व्यवधान हो रहा था इसी कारण मांगें पारित करने सम्बन्ध जो कार्यवाही हुई है वह उचित है।

माननीय मंत्रीगणों द्वारा मांगें मतदान हेतु रखने के लिए प्रस्ताव पर ही अनुदान की मांग संख्या 28 मांग संख्या-50 व मांग संख्या 30 पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ था। इसलिए यह कहना कि प्रस्ताव नहीं रखा गया, उचित नहीं है।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है अनुदानों की मांगों पर विचार प्रारम्भ होने से पूर्व ही आसन की ओर से कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में सदैव की भांति अपनाई जाने वाली व्यवस्था आसन की ओर से दिनांक 16 जुलाई, 2009 को उल्लेख कर दिया गया था। जिस पर सदन की सहमति थी। आप कहें, तो व्यवस्था पढ़कर सुना दूं।

कटौती प्रस्ताव स्वीकार हुए या नहीं इस सम्बन्ध में प्रकट की गई माननीय उप नेता भाजपा की शंका उचित नहीं है तथा इस सम्बन्ध में कोई परम्पराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जहां तक अनुदान की मांगों के पारण के समय डिवीजन की मांग का प्रश्न उपस्थित करते हुए उप नेता ने कहा ऐसा विधान सभा में कभी नहीं हुआ, मैं इस सम्बन्ध में सदन में पूर्व में दिनांक 20 मार्च, 1982 को डिवीजन के ऊपर यही पाइंट ऑफ ऑर्डर उठा था। डिवीजन के ऊपर काफी हल्ला-गुल्ला

(श्री अध्यक्ष)

हुआ। सारी मांगें बिना डिवीजन के पारित कर दी गईं। आप कहें तो तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय आपको पढ़कर सुना दूं।

कल की समस्त कार्यवाही प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों, इस सदन द्वारा समय-समय पर अपनाई गई परम्पराओं के अनुसार विधिसम्मत हुई है। कोई प्रक्रिया, नियमों व परम्पराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैंने प्रस्ताव रखा है। ...(व्यवधान) आदरणीय गुलाब चंदजी कटारिया, घनश्यामजी तिवाड़ी और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को सदन से बाहर निकाला जाए। अध्यक्ष जी, 157, 158 की प्रक्रिया के तहत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमने माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी, गुलाब चन्दजी कटारिया और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के खिलाफ दिया है। पूरा सदन चाहता है ...(व्यवधान)... इन्होंने सदन की गरिमा खराब की है, इनको निकाला जाए और सदन की गरिमा रखी जाए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, 157 और 158 में व्यवस्था चाही है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, हमने व्यवस्था चाही है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 157 व 158 के तहत व्यवस्था चाही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 157, 158 के तहत व्यवस्था चाही है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक साथ खड़े होकर बाहर ...(व्यवधान)

(लगातार व्यवधान/शोर जारी)

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही जब पुनः प्रारम्भ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आ गये और हो-हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के समीप जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक हटाया और आसन से दी जा रही व्यवस्था सम्बन्ध कागजात को छीन लिया और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे। माननीय अध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई तब भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त के अतिरिक्त श्री भवानी सिंह राजावत एवं अन्य कई माननीय सदस्यों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए भारी व्यवधान करना प्रारम्भ कर दिया। माननीय अध्यक्ष के आसन पर झपटने लगे, कागजों को हवा में उछालने लगे और हाथापाई व धक्का-मुक्की करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वे आसन की जानबूझकर अवहेलना करते रहे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे। उनका यह कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला है।

माननीय सदस्यों का कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत था व इनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित माननीय सदस्यों को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

श्री हेमसिंह भड़ाना

श्री भवानी सिंह राजावत

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गुण्डागर्दी कर रखी है सदन के अन्दर। आपसे व्यवस्था चाहते हैं हम।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पूरा राजस्थान देख रहा है। इन लोगों ने 70 गुर्जरों को मारा है। आज वे लोग माहौल खराब करना चाहते हैं।(व्यवधान)...

सदस्य का निलम्बन

ज्ञानदेव आहूजा, हेमसिंह भड़ाना व भवानी सिंह राजावत सर्वश्री का निलम्बन

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत कर देता हूं अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को सदन की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्यवाही जब पुनः प्रारम्भ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गये और हो-हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के समीप जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक हटाया और आसन से दी जा रही व्यवस्था सम्बन्ध कागजात को छीन लिया और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे। माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई तब भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त के अतिरिक्त श्री भवानी सिंह राजावत एवं अन्य कई माननीय सदस्यों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए भारी व्यवधान करना प्रारम्भ कर दिया। माननीय अध्यक्ष के आसन पर झपटने लगे, कागजों को हवा में उछालने लगे और हाथापाई व धक्का-मुक्की करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वे आसन की जान-बूझकर अवहेलना करते रहे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे। उनका यह कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला है।

माननीय सदस्यों का कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत था व इनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित माननीय सदस्यों को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

श्री हेमसिंह भड़ाना

श्री भवानी सिंह राजावत

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेमसिंह भड़ाना, श्री भवानीसिंह राजावत, सदस्य की सदन की सदस्यता एक वर्ष के लिए निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

सर्वश्री ज्ञानदेव आहूजा, हेमसिंह भड़ाना और भवानीसिंह राजावत को सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का सदन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर 12.33 बजे सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.33 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, हमारा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया हुआ है, आप उस पर कोई कार्यवाही करते..... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आसन को दिशा-निर्देश देने वाले आप होते कौन हो? (व्यवधान) यह असंसदीय है। यह आसन को अंगुली दिखाना संसदीय परम्पराओं में नहीं आता। आप आसन की अवमानना कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरा राजस्थान देख रहा है.... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आसन के साथ असम्मान किया है। (व्यवधान) आसन को व्यवस्था देकर अपनी गरिमा बनाये रखनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह बिलकुल नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यदि प्रतिपक्ष आसन की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं, गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार सहमति व्यक्त कर चुकी, इसके बावजूद यहां पर नाटकबाजी हो रही है। माहौल गरमाया जा रहा है, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) कोई नहीं सुनना चाहता आपको श्रीमान्। आप बीच-बीच में बोलना चाहते हैं, आपको कौन सुन रहा है यहां पर? कोई नहीं सुनना चाहता आपको। (व्यवधान) बात-बात में बीच-बीच में हर बार आप बोलते हो, कौन सुनना चाहता है आपको सदन के अन्दर। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नियम 157, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे रखा है। सभापति महोदय, उस पर व्यवस्था करते, आप व्यवस्था दें और बतायें कि सदन का माहौल किसने खराब किया है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो आप। (व्यवधान) मजाक बना रखा है बिलकुल। (व्यवधान) यह सदन आपका घर नहीं है। जब चाहे खड़े हो जाओ। जब चाहो जब बोलने लग जाओ। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चार दिन तक सदन नहीं रहने दिया, धारीवालजी को लेकर जिस तरह का माहौल बना रखा है, बार -बार उनको बोलने नहीं देते, सदन को चलने नहीं देते। (व्यवधान) हमेशा वैल में खड़े होते हो। (व्यवधान) यदि ये सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी-अपनी कुर्सियों पर जाकर के बैठें लेकिन ये सदन को चलाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बोलना नहीं चाहते हैं और बोलने भी देना नहीं चाहते। (व्यवधान) अगर वो बोलना ही चाहते हैं तो अपनी-अपनी कुर्सियों पर जाकर के बैठें। वैल में हो, बोल क्या रहे हो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान) सभापतिजी, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: शांतिपूर्वक चलने दें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये।

श्री सभापति: तीनों माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, श्री भवानी सिंहजी राजावत, श्री हेमसिंहजी भड़ाना जिनका निलम्बनकाल एक वर्ष के लिए हुआ है, वे सदन छोड़कर के चले जाएं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

(श्री सभापति)

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री सभापति: यदि कोई सदस्य बोलना चाहें, यदि कोई सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें, कोई भी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें, कोई भी सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2 से 5 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

अनुसूची - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

श्री बाबूलाल नागर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: यदि कोई सदस्य बोलना चाहें, कोई भी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया गया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विराजिये विराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह क्या तरीका हो गया? ऐसे आदेश देना चाहते हो आसन को आप? यह तरीका नहीं चलेगा। (व्यवधान) जन गण मन शुरू करो ना। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(श्री सभापति)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे। जय जय जय जय हे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.42 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर, भतरपुर एवं सीकर में विश्वविद्यालय की स्थापना

280. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर, भरतपुर व सीकर में विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(2) सरकार द्वारा सीकर, अलवर व भरतपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई?

(3) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय सरकारी व निजी क्षेत्र में संचालित हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनका निरीक्षण कब-कब किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर, भरतपुर एवं सीकर में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) सीकर, अलवर व भरतपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अतः इन विश्वविद्यालयों हेतु भूमि का आबंटन अभी नहीं हुआ है।

(3) प्रदेश में कुल 14 राजकीय (जिनमें उच्च शिक्षा के 8 विश्वविद्यालय) व 13 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनके निरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :-

राजकीय विश्वविद्यालयों में अन्तिम निरीक्षण निम्न तिथियों को किया गया :-

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-जुलाई/2008
2. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-जनवरी, 2009
3. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-अगस्त, 2008
4. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर-फरवरी, 2006

(उच्च शिक्षा मंत्री)

5. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा-निरीक्षण नहीं हुआ।

6. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर-निरीक्षण नहीं हुआ।

7. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा-विश्वविद्यालय स्थापना के समय 1989 में निरीक्षण किया गया।

8. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर-निरीक्षण अप्रैल, 2008 में किया गया।

निजी विश्वविद्यालय-

1. जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर, निरीक्षण- अप्रैल, 2008 में हो गया।

2. जगन्नाथ गुप्ता विश्वविद्यालय, जयपुर निरीक्षण-जुलाई, 2009 में हो गया।

शेष 11 निजी विश्वविद्यालयों में यू.जी.सी. द्वारा निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है।

जम्भेश्वर एवं जयनारायण व्यास जलोत्थान योजना का क्रियान्वयन

281. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गुरुवार जम्भेश्वर जलोत्थान (फलौदी जलोत्थान) एवं जय नारायण व्यास जलोत्थान (पोकरण जलोत्थान) दो महती योजनाओं को स्वीकृत कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है?

(2) क्या उक्त योजनाओं में पानी पहुंचाने हेतु सिविल पम्फिंग स्टेशन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कितने पम्पंगि स्टेशन एच.ई.एम. कार्य स्थपित कर चालू कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पानी की समुचित उपलब्धता के अभाव में सरकार इस क्षेत्र में आने वाले गांवों के लागों को नहर से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गुरुवार जम्भेश्वर जलोत्थान (फलौदी जलोत्थान) के सभी सातों पम्पिंग स्टेशनों का सिविल कार्य पूर्ण हो चका है, तथा प्रथम पांच पम्पिंग

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्टेशनों पर एचईएम स्थापित कर चालू कर दिये गये हैं तथा पम्पिंग स्टेशन संख्या 6 पर एचईएम स्थापित करने हेतु निविदा कार्य प्रगति पर है। पम्पिंग स्टेशन संख्या 7 पर वर्तमान में एचईएम लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जयनारायण व्यास जलोत्थान (पोकरण जलोत्थान) के छह पम्पिंग स्टेशनों के सिविल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा तीन पम्पिंग स्टेशनों पर एचईएम स्थापित कर चालू कर दिये गये हैं तथा पम्पिंग स्टेशन संख्या नं. 4 एवं 5 पर एचईएम स्थापित करने हेतु निविदा कार्य प्रगति पर है। पम्पिंग स्टेशन संख्या 6 पर वर्तमान में एचईएम लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजना में फलौदी तहसील के 19 गांव एवं पोकरण तहसील के 7 गांव कुल 26 गांव कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में 26 गांवों में से 15 गांव इन्दिरा गांधी नहर (राजीव गांधी लिफ्ट) से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। 9 गांवों में वर्तमान में स्थानीय टयूबवैल से पेयजल वितरण किया जा रहा है, इनकी पेयजल की मांग (राजीव गांधी लिफ्ट) में सम्मिलित हैं। शेष 2 गांवों में वर्तमान में स्थानीय ट्यूबवैल से पेयजल वितरण किया जा रहा है। इनको इन्दिरा गांधी नहर से जोडना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पोकरण जलोथान सिंचाई योजना में फलौदी तहसील के 5 गांव एवं पोकरण के 6 गांव कुल 11 गांव कमाण्ड में आते हैं। वर्तमान में 11 गांवों में से 8 गांवों में स्थानीय टयूबवैलों से पेयजल वितरण किया जा रहा है। इनकी पेयजल की मांग राजीव गांधी लिफ्ट एवं पोकरण सिवाणा पेयजल लिफ्ट में सम्मिलित है। 3 गांवों में वर्तमान में स्थानीय टयूबवैल से पेयजल वितरण किया जा रहा है। इनको इन्दिरा गांधी नहर से जोडना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

नदबई (भरतपुर) क्षेत्र की मरम्मत योग्य सड़कें

282. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत बजट अभाव में नहीं कराई गई है? यदि हां, तो ऐसी कितनी सड़कें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर(दीपा)

निर्माण विभाग से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये प्रक्रिया क्या होगी व सड़कों का मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। 10 सड़कों की विशेष मरम्मत करायी जानी है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) सड़कों की मरम्मत मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाई जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

कृषि उपज मण्डी समिति नदबई के विधान सभा क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित विशेष मरम्मत योग्य सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित व्यय राशि (लाख)	निर्मित वर्ष
1	स.स. उच से लालपुर	1.80	13.50	99-2000
2	स.स. सायपुर से लखनपुर	2.50	18.75	99-2000
3	स.स. बरौली रान से तलछेरा रोड से केसरा	1.20	9.00	99-2000
4	स.स. नदबई खेडली रोड से नयाबास	1.10	8.25	99-2000
5	स.स. डेहरा मोड़ मई रोड से दयावली	2.00	15.00	99-2000
6	स.स. नदबई डेहरा रोड से बुडवारी कला	0.90	6.75	99-2000
7	स.स. नदबई हलैना रोड से पीली	1.20	9.00	99-2000
8	स.स. सरसैना से उटादरा	4.30	32.25	99-2000
9	स.स. बरौलीछार से सलिमपुर	2.40	18.00	2002-03
10	स.स. परसवाडा	0.90	6.75	2002-03
	योग	**18.30**	**137.25**	

प्रदेश में रिफाइनरी की स्थापना

283. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में रिफाइनरी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु किस-किस स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तेल को पाइप लाइन के द्वारा अन्य राज्य में ले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस समबन्ध में अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार बाड़मेर में वैलहैड रिफाइनरी स्थापित करने हेतु प्रयास कर रही है। अब तक किये गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1-संघ सूची की प्रविष्टि 53 के अनुसार पैट्रोलियम संघीय सूची में होने के कारण केन्द्र सरकार को पूर्ण खनिज अधिकार प्राप्त है, जिसे अन्य राज्य में ले जाने से रोकना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

परिशिष्ट 'अ'

वैलहैड रिफाइनरी स्थापित करने हेतु प्रयास

वर्ष 2005 में ओएनजीसी (एमआरपीएल) द्वारा बाड़मेर जिले में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया एवं राज्य सरकार से रिफाइनरी को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिये वांछित वित्तीय रियायतें प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा वर्ष 2006 में एस.बी.आई. केप्स की Study Report के आधार पर वर्ष 2005 आंकडों को आधारगत रखते हुये 16 वर्ष के लिये रुपये 1300 करोड़ प्रति वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की मांग की गई। वर्ष 2005 से 10 अगस्त, 2008 तक राज्य सरकार द्वारा ओएनजीसी के प्रस्ताव के अन्तर्गत चाही गई वित्तीय रियातयों के अनुदान करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया।

दिनांक 11 अगस्त, 2008 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने

केन्द्रीय पेट्रोलिमय सचिव को पत्र लिखकर 30 वर्षों के लिये बाड़मेर क्रूड के वेट के पेटे कुल रुपये 16000 करोड़ की छूट देने की मंशा जताई।

दिनांक 03.02.2009 को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, श्री मुरली देवड़ा से वार्ता की गई, जिसमें केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव, श्री आर.एस. पाण्डे, तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री डी.सी. सामन्त, चेयरमैन ओएनजीसी, श्री आर.एस. शर्मा भी उपस्थित थे। राजस्थान सरकार से वित्तीय रियायतों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में ओएनजीसी द्वारा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पर पुर्नविचार करने की सहमति जताई।

इसके अनुरूप ही केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2009 को सूचीबद्ध अतारांकित राज्यसभा प्रश्न संख्या 782 का उत्तर दिया गया कि ओ.एन.जी.सी. रियायतों पर पुर्नविचार/समीक्षा करने पर सहमत है तथा परियोजना को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संशोधित लागत राजस्थान द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय सहयोग पर निर्भर करती है।

दिनांक 16.02.2009 तथा 16.06.2009 को प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम ने इस प्रकरण में चेयरमैन, ओएनजीसी तथा उनके अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता की। ओएनजीसी ने एसबीआई केप्स के माध्यम से वर्ष 2009 के आंकडों के आधार पर त्वरित अध्ययन (Rapid Study) करवाया, जिसमें निम्नांकित बिन्दु उभर कर आए:-

(अ) रुपये 1200 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रतिवर्ष 16 वर्षों के लिये राज्य सरकार द्वारा ओ.एन.जी.सी. को।

(ब) रिफाइनरी उत्पाद की मार्केटिंग तेल विपणन कम्पनियों (जैसे कि आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल., बी.पी.एल.) के माध्यम से करवाने हेतु आश्वासन।

(स) बाडमेर-सलाया पाइपलाइन के माध्यम से न्यूनतम परिवहन शुल्क पर अन्तर खनिज तेल (balancing crude) की सप्लाई की व्यवस्था।

वर्तमान में ओएनजीसी द्वारा रिफाइनरी स्थापित करने हेतु Detailed Feasibility Report (DFR) तैयार करवाई जा रही है। चूंकि उपरोक्त आंकड़ें Rapid Study के हैं। अतः सही आंकड़ों हेतु डीएफआर का तैयार होना आवश्यक है। डीएफआर तैयार होने के पश्चात ओएनजीसी से आगे विचार-विमर्श किया जावेगा।

वैर विधान सभा के किलों का जीर्णोद्धार

284. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र वैर शहर में स्थित किले के जीर्णोद्धार हेतु गत पांच वर्षों में कोई राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस वर्ष में कितनी और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त किले का विकास कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में उक्त किले के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सम्बन्ध कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर जिले की तहसीलों में रिक्त पद

285. **डा. जसवनत सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर की विभिन्न तहसीलों में वर्तमान में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद कब से रिक्त हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर की विभिन्न तहसीलों में वर्तमान में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-क सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1500 पदों के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित पटवार परीक्षा (सीधी भर्ती) में सफल आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षण उपरान्त उत्तीर्ण आशार्थियों को पटवारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।

(राजस्व मंत्री)

भू-अभिलेख निरीक्षकों, कार्यालय सहायकों, वरिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ लिपिकों एवं जमादारों के पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। इन रिक्त पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाकर पदोन्नति प्रदान की जायेगी। कनिष्ठ लिपिक के कुल स्वीकृत पदों (स्ट्रेन्थ) के 15 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के योग्य कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र सम्पन्न करने हेतु सम्भागीय आयुक्त, जयपुर एवं जिला कलक्टर, अलवर को निर्देशित किया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में वेन्टीलेटर की सुविधा

286. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, न्यूरो सर्जिकल वार्ड, आई.सी.यू. एवं शिशु रोग वार्ड में कितने वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वेन्टीलेटर चालू हालत में हैं? यदि नहीं, तो कितने खराब हैं? खराब वेन्टीलेटर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेन्टीलेटर उपकरण को काम में लेने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? यदि हां, तो जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में कितने कर्मचारी उक्त प्रशिक्षित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जीवन रक्षक उपकरण (वेन्टीलेटर) की आवश्यकता को देखते हुए इसकी खरीद हेतु जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय को बजट उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में उपलब्ध वेन्टीलेटर्स का वांछित विवरण इस प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विभाग	संख्या
मेडिकल वार्ड	00
मेडिकल आईसीयू	02
सर्जिकल आईसीयू	03
न्यूरो सर्जिकल वार्ड	00
आई.सी.यू.	02
शिशु रोग वार्ड	01
योग	**08**

(2) जी नहीं। कुल 8 वेन्टीलेटर्स उपलब्ध है जिनमें से 4 वेन्टीलेटर्स खराब हैं। खराब वेन्टीलेटर्स की सूची इस प्रकार है :-

विभाग	खराब वेन्टीलेटर्स की संख्या
मेडिकल वार्ड	00
मेडिकल आईसीयू	02
सर्जिकल आईसीयू	00
न्यूरो सर्जिकल वार्ड	00
आई.सी.यू.	01
शिशु रोग वार्ड	01
योग	**04**

(3) जी हां। वेन्टीलेटर्स को काम में लेने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ चिकित्सक को क्रिटीकल केयर का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में एनेस्थेटिस्ट के साथ 08 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. डा. आशा जैन
2. डा. अशोक विजय
3. डा. वीना पाटोदी
4. डा. अरविन्द खरे
5. डा. रूपेश यादव

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

6. डा. वी.एल. धाबाई

7. डा. सीमा अग्रवाल

8. डा. वीना माथुर

(4) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के विभिन्न विभागों हेतु 10 वेन्टीलेटर्स की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन से 3 वेन्टीलेटर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। वेन्टीलेटर्स क्रय करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जोधपुर जिले में प्रस्तावित नवीन क्रय विक्रय/ग्राम सेवा सहकारी समितियां

287. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों व क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त हेतु जोधपुर जिले के लिए अब तक कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार उन्हें कब तक अन्तिम रूप देने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु वर्तमान में जोधपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। जोधपुर जिले में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन बाबत प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जावेगा।

अलवर-भरतपुर मेगा हाइवे का निर्माण

288. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनीता सिंह)

क्या अलवर, भरतपुर मेगा हाइवे का कार्य स्वीकृत हो चुका है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

थाना श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में दर्ज मुकदमे

289. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) थाना श्रीडूगरगढ़, जिला बीकानेर में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक कुल कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए एवं कितने मामलों में कार्यवाही हुई तथा कितने मामलों अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई व कितने अभी तक विचाराधीन हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक थाना श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज मुकदमों की तुलना में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 में अपराध बढ़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) थाना श्रीडूगरगढ़ में वर्तमान में पुलिसकर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? क्या सरकार बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु थाने में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) थाना श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक कुल 2150 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये। 1464 मामलों में चालान पेश किये गये तथा 681 मामलों में एफ.आर. लगाई गई व 5 मामले अभी तक विचाराधीन है। वर्षवार विवरण निम्न हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	पैण्डिंग
1.	2004	391	255	136	-
2.	2005	401	274	126	01
3.	2006	387	290	97	-
4.	2007	454	305	148	01
5.	2008	517	340	174	03
	योग	**2150**	**1464**	**681**	**05**

(गृह मंत्री)

(2)

क्र.सं.	वर्ष	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	पैण्डिंग
1.	1999	336	199	137	-
2.	2000	346	203	143	-
3.	2001	381	239	142	-
4.	2002	313	208	105	-
5.	2003	402	242	160	-
	योग	**1778**	**1091**	**687**	**-**

(2) जी हां । वर्ष जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक थाना श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज मुकदमों की तुलना में वर्ष जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 में अपराध बढ़े हैं, जिसका कारण बढ़ती आबादी तथा बढ़ते आवागमन के साधन तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही हैं।

(3) थाना श्रीडूंगरगढ़ में वर्तमान में पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पद तथा रिक्त निम्न हैं :-

क्र. सं.	थाना/चौकी	स्वीकृत पद					मौजूदा					रिक्त पद				
		पु.नि.	उ.नि.	स.उ.नि.	हैड. कानि.	कानि	पु.नि.	उ.नि.	स.उ. नि.	हैड. कानि.	कानि	पु.नि.	उ.नि.	स.उ. नि.	हैड. कानि.	कानि
1.	थाना श्रीडूंगरगढ़	01	02	05	04	19	01	01	04	04	14	-	01	01	-	05
2.	चौकी श्रीडूंगरगढ़	-	-	01	-	06	-	-	01	-	05	-	-	-	-	01
3.	चौकी बापेउ	-	-	01	01	04	-	-	-	01	01	-	-	01	-	03
4.	चौकी मोपासर	-	-	01	01	04	-	-	-	01	01	-	-	01	-	03
5.	चौकी सूडसर	-	-	-	01	05	-	-	-	01	04	-	-	-	-	01
	योग	**01**	**02**	**08**	**07**	**38**	**01**	**01**	**05**	**07**	**25**	**-**	**01**	**03**	**-**	**13**

थाने में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा रहा है।

बांसवाड़ा जिले में नरेगा योजना के अन्तर्गत बकाया राशि

290. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा में श्रम व सामग्री मद में पंचायत समितिवार वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी सामग्री मद की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक भुगतान करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अन्तर्गत राशि का आबंटन श्रम व सामग्री मद के लिए अलग-अलग नहीं किया जाता है। आबंटित राशि में से प्राथमिकता पर पहले मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद अवशेष राशि को सामग्री मद के लिए दिया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि राशि के अभाव में किसी भी कार्य के क्रियान्वयन में बाधा न आवे। बांसवाड़ा जिले में पंचायत समितिवार गत पांच वर्षों में आबंटित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2)मजदूरी मद का समस्त भुगतान 15 जून, 2009 तक कर दिया गया है एवं जून, 2009 के द्वितीय पखवाडे के श्रमिकों का भुगतान कार्यकारी संस्थाओं को आबंटित कर दिया गया है। सामग्री मद की राशि का भुगतान राशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। केन्द्र सरकार में बजट पास नहीं हो पाने के कारण अगली किश्त प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है। राशि प्राप्त होते ही लम्बित सामग्री मद का भुगतान कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट-।

पंचायत समिति	वर्षवार राशि का आबंटन (राशि लाखों में)					
	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	Total
आनन्दपुरी	50.00	1645.00	1210.00	2985.00	1975.00	7865.00
बागीदौरा	130.00	2424.00	970.7	3193.27	2030.00	8747.97
गढ़ी	75.00	3091.56	1826.97	5406.00	2590.00	12989.53

पंचायत समिति	वर्षवार राशि का आबंटन (राशि लाखों में)					
	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	Total
घाटोल	75.00	2554.11	1766.54	4537.00	2750.00	11682.65
कुशलगढ़	50.00	2178.80	605.79	1670.00	1200.00	5704.59
सज्जनगढ़	50.00	1625.4	1081.406	2684.00	1380.00	6820.81
पीपलखूंट	50.00	1875.00	958.46	2955.00	1855.00	7693.46
तलवाड़ा	75.00	1341.00	797.93	1759.62	1850.00	5823.55
योग	**555.00**	**16734.87**	**9217.80**	**25189.89**	**15630.00**	**67327.56**

तहसील कोलायत (बीकानेर) में विद्युत खम्भों हेतु स्टे वायर

291. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निगम द्वारा पहाड़ी, रेगिस्तानी व समतल क्षेत्र में विद्युत पोल व स्टे वायर लगाने के लिए मानदण्डों का निर्धारण व निर्देश दिये हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के रेगिस्तानी क्षेत्र में मानदण्ड के अनुसार स्टे वायर नहीं लगाने से आंधी आने पर 20 से 50 खम्भे एक साथ गिर जाते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि लोहे के खम्भे की अपेक्षा सीमेंट के खम्भे ज्यादा संख्या में टूट कर गिर जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सीमेंट के खम्भों का स्तरहीन निर्माण होता जा रहा है? यदि हां, तो इसकी गुणवत्ता (quality) में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

(5) क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्र में दो खम्भों के बाद एक स्टे वायर ठेकेदार की जिम्मेदारी तय कर पुनः मानदण्ड के अनुसार लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निगमों द्वारा पहाड़ी रेगिस्तानी व समतल क्षेत्र में विद्युत पोल व स्टे वायर लगाने के लिये मानदण्डों का निर्धारण किया हुआ है। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जोधपुर निगम में जिला बीकानेर की कोलायत तहसील सहित सभी क्षेत्रों में लाइन स्टे निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लगाई जाती है। परन्तु कृषि कार्य हेतु टैक्ट्ररों से बुवाई करते समय लगी हुई स्टे द्वारा बाधा आने के कारण उन्हें किसानों द्वारा तोड़ दिया जाता है। जिससे आंधी तूफान आने पर खम्भों के तार टूटने से एक साथ अधिक संख्या में खम्भे गिर जाते हैं।

(3) अति तीव्रता वाले आंधी तूफान आने पर सीमेन्ट के खम्भे प्री स्ट्रेस्ड सीमेन्ट क्रंकीट द्वारा बने होने के कारण टूट जाते हैं जबकि लोहे के खम्भे माइल्ड स्टील द्वारा बने होने के कारण टूटने के बदले मुड़ जाते हैं।

(4) जी नहीं। सीमेन्ट के खम्भों का निर्माण स्तर हीन नहीं है। ये अच्छी गुणवत्ता के हैं। इनका निर्माण आर.ई.सी. एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। पोलो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण एवं परीक्षण के पश्चात ही पोल स्वीकार किये जाते हैं। गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने के बाद उचित कार्यवाही की जाती है।

(5) रेगिस्तानी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में नियमित रख-रखाव के तहत स्टे ठीक करने की कार्यवाही की जाती है एवं आवश्यकता होती है वहां नई स्टे भी लगाई जाती है व यह सभी कार्य निरन्तर किये जाते रहते हैं।

(मानदण्ड की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले की स्वजलधारा योजनान्तर्गत टयूबवैलों के विद्युत कनेक्शन

292. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में गत 10 वर्षों में कितने ग्रामों में स्वजलधारा योजना से स्वीकृतियां जारी हुई तथा कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने ग्रामों के टयूबवैलों के विद्युत कनेक्शन कट गये एवं कितने चालू हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों के ट्यूबवैलों के बिजली के कनेक्शन कट गये, उन ग्रामों को टैंकरों से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है?

(श्री अमराराम)

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त योजना को टी.एस.एस. योजना में बदल कर ट्यूबवैलों की बकाया राशि जमा करवा कर पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में वर्ष 2001-02 से अब तक 174 ग्रामों में स्वजलधारा योजनाएं स्वीकृत की जाकर 85 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 89 योजनाओं के कार्य अपूर्ण हैं। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सम्बन्धत ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विद्युत बिलों की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण 17 ग्रामों की योजनाओं पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर उपलब्ध है। 61 योजनाओं पर विद्युत सम्बन्ध चालू हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

7 योजनाएं उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हैण्डपम्प से लाभान्वित की गई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार विद्युत सम्बन्ध विच्छेद वाली योजनाओं के अन्तर्गत 17 ग्रामों में पूर्व से निर्मित विभागीय स्त्रोतों से जलापूर्ति की जा रही है । इनमें से 5 ग्रामों में (विधान सभा क्षेत्र, खण्डेला के एक ग्राम ढाणी गुमानसिंह एवं विधान सभा क्षेत्र, दांतारामगढ़ के चार ग्राम क्रमशः अहीरका बास, डासरोली, गोवटी व मोटलावास) टैंकरों द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त स्वजलधारा योजनाओं को टी.एस.एस. योजना में परिवर्तित कर पुनः चालू करने के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं। स्वजलधारा योजनाएं केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकृत हैं जिसकी मूल अवधारणा में योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी शामिल है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय मेंरखा गया)

सरदारशहर की कृषि उपज मण्डी में मण्डी शुल्क चोरी के दर्ज प्रकरण

293. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक कृषि उपज मण्डी के मनोनीत सदस्य हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरदारशहर में करोड़ों रुपयों की लागत से कृषि उपज मण्डी समिति का घोषित मंडी यार्ड है? यदि हां, तो घोषित होने की विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरदारशहर में अघोषित मण्डी यार्ड में व्यापार हो रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(4) क्या यह भी सही है कि अघोषित मण्डी यार्ड में व्यापार होने से फर्मों के द्वारा मण्डी शुल्क की चोरी हो रही है ? यदि हां, तो वर्ष 2008 से अब तक कितने मण्डी शुल्क की चोरी के मामले पंजीबद्ध हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7(1) (a) (iv)एवं 7(1)(b)(vi) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विधायक मण्डी समिति का सदस्य होता है।

(2) जी हां। विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति सरदारशहर का मण्डी क्षेत्र एक फसलीय होने के कारण मुख्य मण्डी प्रांगण में पीक सीजन में ही व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त अभी मण्डी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में शेष अवधि में अघोषित मण्डी यार्ड में जो व्यापार हो रहा है। उस पर नियमानुसार मण्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है। घोषित मुख्य मण्डी प्रांगण में व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी ।

अंघोषित मण्डी यार्ड में व्यवसायरत फर्मो से देय मण्डी शुल्क लिया जा रहा है । मण्डी कर्मचारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है । वर्ष 2007-08 से मण्डी शुल्क अपवंचन के 48 मामले पंजीबद्ध किये गये जिनमें 246851 रु. मण्डी शुल्क अपवंचन राशि वसूल की गई ।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.10(34)कृषि/2वी/76   जयपुर, दिनांक : 2.4.1992

विज्ञप्ति

जैसा कि राजस्थान सरकार ने अपनी विज्ञप्ति सं. प.10(34)कृषि/2बी/76 दिनांक 27 मई, 1977 के द्वारा मुख्य मण्डी यार्ड, सरदारशहर की सीमाओं की घोषणा की थी अब चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति, सरदारशहर ने भूमि क्रय कर उस पर नवीन मण्डी यार्ड का निर्माण करवाया है। राजस्थान सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार पूर्व में घोषित मुख्य मण्डी यार्ड को अघोषित करते हुए उसके स्थान पर नवनिर्मित मण्डी यार्ड, सरदारशहर को मुख्य मण्डी यार्ड घोषित करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार होगी :-

पूर्व में	: खसरा नं. 208 की शेष भूमि गौशाला
पश्चिम में	: खसरा नं. 208 की शेष भूमि गौशाला
उत्तर में	: बीकानेर से दिल्ली जाने वाली सड़क
एवं दक्षिण में	: खसरा नं. 208 की शेष भूमि गौशाला

इन सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

पुन: उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मण्डी क्षेत्र में उपरोक्त मुख्य मण्डी यार्ड की सीमाओं के लेकर नगरपालिका सरदारशहर की सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात् उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए किसी भी कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए कोई स्थान नहीं जमायेगा, स्थापित करेगा या कब्जा रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि इस विज्ञप्ति में धारा 4 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उपरोक्त मुख्य मण्डी यार्ड की सीमाओं से लेकर नगरपालिका, सरदारशहर की वर्तमान सीमाओं तक का क्षेत्र मुख्यमण्डी (मार्केट

प्रोपर) होगा जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 के अन्तर्गत परिभाषित है।

आज्ञा से

आज्ञा से

ह./-

(वि.द. पुरोहित)

शासन उप सचिव

कोटा एवं अन्य शहरों में घटिया मार्बल की विक्रय

294. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा सहित अनेकों स्थानों पर सफेद असली मार्बल की जगह घटिया व रिजेक्टेड मार्बल राजसमन्द से अवैध रूप से लाकर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो गत छह माह के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कितनी गाड़ियों को पकड़ा गया और कितने व्यवसायियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं । कोटा वृत सहित अन्य स्थानों में सफेद असली मार्बल की जगह घटिया व रिजेक्टेड मार्बल राजसमन्द से लाकर बेचान का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

राजसमन्द जिले में खनिज मार्बल के स्वीकृत/धृत खनन पट्टों से स्थानीय चिराई संयंत्रों के अलावा जिले के बाहर अन्य जिलों व अन्य राज्यों में रॉ-मेटेरियल के रूप में निर्गमन होता है जिस पर निर्धारित दर अनुसार रॉयल्टी वसूल की जाती है।

तहसील बायूत (जैसलमेर) के ऐतिहासिक स्थलों/इमारतों का रख-रखाव

295. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ऐतिहासिक इमारतों की देख-रेख सरकार द्वारा की जाती है? यदि हां, तो क्या बाड़मेर जिले के बायतू तहसील के ग्राम बाटाडू में स्थित ऐतिहासिक कुआं सरकार की देख-रेख में हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या सरकार उक्त कुएं को अपने अधीन लेकर उसे संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले के बायूत तहसील के ग्राम बाटाड़ू में स्थित कुआं विभाग की देखरेख में नहीं है। क्योंकि यह कुआ राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है। अतः इसे संरक्षित घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं । यह कुआं राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।

अलवर जिले में कृषि भूमि पर आवासीय भू-खण्डों का नियमन

296. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में कृषि भूमि में काटे गये आवासीय भूखण्डों के पंजीयन के पश्चात राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण किये जाने पर अघोषित रूप से रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो कब व किस आदेश के द्वारा ?

(2) क्या सरकार उक्त पंजीकृतशुदा भूखण्डों के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नही, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अनेक प्रकरणों में पंजीयन पश्चात भूखण्डों का नामान्तरकरण सम्बन्धत तहसीलदारों द्वारा राजस्व रेकार्ड में किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मनमर्जी करने वाले तहसीलदारों एवं सम्बन्धत कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास क्षेत्र में कृषि भूखण्डों का आवासीय अथवा अन्य गैर कृषि उपयोग में लिये जाने के कारण पंजीकृत बैयनामों के

(राजस्व मंत्री)

नामान्तरकरण दर्ज करने पर तहसीलदार अलवर द्वारा पत्र दिनांक 4043 दिनांक 7.12.2004 से रोक लगाई हुई है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90 ए के अनुसार कृषि भूमि का कोई भी व्यक्ति अथवा क्रेता, जिसके द्वारा भूमि क्रय की गई हो, का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग तभी कर सकता है, जब उसके लिये विधिवत प्रचलित नियम/निर्देशों के अनुरूप समक्ष स्तर से संपरिवर्तन की अनुमति प्राप्त कर ली हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के लिये राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 प्रचलित है तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 90-बी के अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। कुछ प्रकरणों में पंजीयन पश्चात भूखण्डों का नामान्तरकरण सम्बन्धत तहसीलदारों द्वारा राजस्व रेकार्ड में किया गया है, जिसकी जांच जिला कलक्टर, अलवर से करवाई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त जिला कलक्टरों को दिशा-निर्देश भिजवाये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

झालावाड़ जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

297. **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन श्रेणियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रेडियोग्राफर, वरिष्ठ लिपिक एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। नर्स श्रेणी प्रथम की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली गई है तथा पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्रामीण नर्स द्वितीय के पदों को भरने हेतु साक्षात्कार लिये जा रहे हैं जिसके पश्चात योग्य अभ्यार्थियों का चयन कर नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किये जायेंगे।

सहायक रेडियोग्राफर, लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल टैक्नीशियन, वाहन चालक, वार्डबॉय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है किन्तु माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण पदों पर कार्यग्रहण नहीं कराया जा सका है। कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा भरे जाते हैं जिसे भरवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के सहकारी समिति सदस्यों की साख सीमा का निर्धारण

298. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से दिनांक 17 फरवरी, 2009 तक जिले की सभी सहकारी समितियों द्वारा 7508 नये सदस्य बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा जिले की सभी सहकारी समितियों के पात्रता रखने वाले सदस्यों को ऋण देने के निर्देश प्रदान किये हुये हैं ? यदि हां, तो जिले में दिनांक 17 फरवरी, 2009 से अब तक कितने सदस्यों को ऋण दिया गया ?

(2) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्देश के बावजूद सहकारी समितियों द्वारा उक्त 7508 सदस्यों की साख सीमा बनाकर बैंक को नहीं भेजा गया? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों व सहकारी समितियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या

(श्री पेमाराम)

कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति बानूड़ा तथा बाडलवास (धोद) में उक्त नये सदस्यों में से कितने की साख सीमा बनी व कितनों को ऋण उपलब्ध करवाया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1120 सदस्यों को ऋण दिया जा चुका है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा 2874 सदस्यों की ही साख सीमा बैंक को स्वीकृति हेतु भेजी है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा बैंक को जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) बानूड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में उक्त नये सदस्यों से 83 सदस्यों की साख सीमा स्वीकृत की जा चुकी है व 29 सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष सदस्यों द्वारा ऋण की मांग नहीं की गई है। बाडलवास ग्राम सेवा सहकारी समिति में उक्त नये सदस्यों में से किसी की साख सीमा स्वीकृत नहीं हो सकी हैं क्योंकि सदस्यों द्वारा भूमि विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कें

299. **श्री ग्यारसा राम कोली** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में सभी तहसील मुख्यालय/कस्बों को जोड़ने वाली लिंक रोड जर-जर हालत में है एवं जगह-जगह पर गड्ढे हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो मरम्मत कार्य कब तक शुरू करवा दिए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं । कुछ सड़कें वर्षा से प्रभावित हुई हैं, राज्य सरकार इन सड़कों की मरम्मत का विचार रखती है एवं वर्षा के मौसम के उपरान्त माह नवम्बर, 2009 तक इन सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियां

300. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में जगह-जगह कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर शहर को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने से पूर्व उक्त बस्तियों को योजनाबद्ध तरीके से बसाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में बजट भाषण 2009-10 की घोषणाओं में सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(2) जी हां। कच्ची बस्तियों के स्थितिनुसार यथास्थान या अलग बसाने की योजना बनाई जा रही है । क्योंकि यह मानवीय पहलुओं से जुडी समस्या है अत: इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

जैसलमेर शहर में पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाइन

301. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में सरकारी एवं निजी फर्म द्वारा गत 3 वर्षों में कितने नलकूप खोदे गये? उक्त नलकूप में से वर्तमान में कितने चालू और कितने बंद स्थिति में है? क्या सरकार बंद नलकूपों को पुन: चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के खारा पानी वाले गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और जिले में कितने ग्राम खारा पानी से ग्रसित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि करीब तीन वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये की लागत से जैसलमेर शहर में जलापूर्ति के लिये बिछाई गई 20'' व 18'' पाइप लाइन की टेस्टिंग कर भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो उससे अब तक शहर को जलापूर्ति नहीं होने के कारण क्या हैं? क्या सरकार उक्त पाइप लाइन से जलापूर्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(4) क्या सरकार करीब चार वर्ष पूर्व नहर की सागरमल गोपा शाखा की 245 आर.डी. से रामगढ़, सोनू, मोकला, खुईयाला के लिये करोड़ों की लागत से बनी पेयजल योजना को प्रारम्भ कर जलापूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अब तक इस योजना में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? उक्त योजना की अनुमानित लागत कितनी थी एवं पूर्ण कब की जानी थी ? योजना में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न जल योजनाओं के लिये सरकारी एवं निजी फर्मों द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अपधि में निर्मित किये गये नलकूपों में से वर्तमान में चालू, बंद नलकूप एवं बंद नलकूपों को पुन: करने के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कुल 384 ग्रामों में से 289 ग्रामों का पानी खारा है। इनमें से 138 ग्रामों में पेयजल समस्या के स्थाई हल के लिये इंदिरा गांधी नहर को मुख्य जल स्त्रोत लेकर मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य सम्मिलित करते हुए बाड़मेर लिफ्ट परियोजना (जैसलमेर जिले के 162 ग्राम सम्मिलित करते हुए) के प्रथम चरण की माह फरवरी, 2007 में जारी संशोधित स्वीकृति अनुरूप कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

प्रथम चरण की स्वीकृत उक्त योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार मार्च, 2011 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। परियोजना में सम्मिलित उक्त गांवों में क्षेत्रीय योजनाओं से पानी पंहुचाने का कार्य द्वितीय चरण में प्रस्तावित है तथा इसके लिये आवश्यक राशि की व्यवस्था की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार शेष रहे 151 ग्रामों में से 6 ग्रामों को संवर्धन जल योजना 245 आर.डी-रामगढ़, सोनू, मोकल, खुईयाला के अन्तर्गत नवम्बर, 2009 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है

15 ग्राम इन्दिरा गांधी नहर की गडरा ब्रांच में प्रस्तावित करते हुए योजना के प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं तथा 130 ग्रामों की योजना भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम'' (दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी) के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेयजल स्त्रोत की सुनिश्चतता उपरान्त बनाई जानी है। संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर तदुपरान्त इनका क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा। खारे पानी से प्रभावित 289 ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-'2' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। पुनर्गठित जलप्रदाय योजना, गजरूप सागर-जैसलमेर फेज द्वितीय की माह फरवरी, 2002 में संशोधित स्वीकृति के अन्तर्गत जैसलमेर शहर को नहरी पानी उपलब्ध कराने हेतु 20 इंच, 16 इंच एवं 14 इंच की ए.सी. पाइप लाइन सूली डूंगरी हैडवर्क्स से किले की प्रथम पोल तक क्रमश: 260 मीटर, 584 मीटर एवं 328 मीटर बिछाई जाकर टेस्टिंग उपरांत अनुबंधक को भुगतान किया गया । देवा एवं पोहडा हैड वर्क्स से कम मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होने के कारण उक्त पाइप लाइन से शहर में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है।

जैसलमेर शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु माह अप्रैल, 2007 में संवर्द्धन शहरी जलप्रदाय योजना, गजरूप सागर-जैसलमेर (स्वीकृत राशि रु. 11.61 करोड़) की स्वीकृत योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर, प्रथम पैकेज के अन्तर्गत देवा हैडवर्क्स से पोहड़ा हैडवर्क्स के मध्य 8 किलोमीटर लम्बाई में 500 मिलीमीटर व्यास की डी.आर. पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्त कार्य माह जनवरी, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। तदुपरान्त पूर्व योजना में बिछाई गई ए.सी. पाइप लाइन से जैसलमेर शहर को निर्धारित मानक अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जायेगी।

(4) जी हां। सागरमल गोपा शाखा की 245 आर.डी. से रामगढ़, सोनू, मोकल, खुईयाला योजना की प्रशासिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 463.31 लाख की माह सितम्बर, 2003 में एवं तकनीकी स्वीकृति माह जनवरी, 2005 में जारी की गई । इस योजना में 10 ग्राम एवं 24 ढाणियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। तकनीकी स्वीकृति अनुरूप योजना के कार्य 6 पैकेज में प्रस्तावित किये गये तथा पैकेज संख्या 4 के अन्तर्गत पाइप लाइन के कार्य को छोड़कर योजना के समस्त कार्य लगभग पूर्ण कर माह जून, 2009 तक रुपये 565.45 लाख व्यय किये जा चुके हैं। अब तक 3 ग्राम एवं 4 ढाणियों को लाभान्वित कर दिया गया है।

योजना जनवरी, 2008 तक पूर्ण की जानी थी परन्तु रामगढ़ से सोनू के मध्य 3 किलामीटर लम्बाई में कठोर भूमि (हार्ड स्ट्रेटा) पर बिछाई जाने

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वाली पाइप लाइन में ''रामगढ़ गैस तापीय विद्युत प्लांट'' द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण रामगढ़-सोनू पाइपलाइन का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। माह जुलाई, 2009 में अनुमति मिलने के उपरांत इस पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना की क्रियान्विति माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कर शेष 7 ग्राम एवं 20 ढाणियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। अतः देरी के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सी-स्कीम जयपुर के भू-खण्ड का अवैध बेचान

370. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर का भू-खण्ड संख्या ई-177 श्री श्रीकिशन चौधरी पुत्र श्री सुन्दरलाल को तत्कालीन जयपुर राज्य द्वारा वर्ष 1949 में आबंटित या विक्रय किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त भू-खण्ड सम्पूर्ण कीमत (नजराना राशि) लेकर आबंटित किया गया या बिना कीमत लिये मात्र सालाना शहरी जमाबन्दी राशि के बदले ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि यदि उक्त भू-खण्ड सालाना शहरी जमाबन्दी के आधार पर आबंटन था, तो क्या आबंटन रियायती दर पर आबंटन की परिभाषा में आता था? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड श्री श्रीकिशन चौधरी के देहान्त के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती चौधरी को आबांटित कर दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन समय में श्री श्रीकिशन चौधरी के एक से अधिक पुत्र व पुत्रियां मौजूद थे और यह जानकारी तत्कालीन यू.आई.टी. के पास उपलब्ध थी । यदि हां, तो मृतक की उक्त सम्पत्ति सभी वारिसान के नाम नहीं करने के क्या कारण रहे?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड का श्रीमती शान्ति देवी के हक में दिनांक 29 दिसम्बर, 1965 को लीजडीड पंजीकृत हुआ और श्रीमती शान्ति देवी ने उक्त भू-खण्ड पर निर्माण कार्य करवाये बिना ही आबंटन की शर्तों का उल्लंघन कर भू-खण्ड को दिनांक 24 मार्च, 1996 को ही श्री मोहम्मद मुनीर खान पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ खान को बेच दिया? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कृत्य के लिये तत्कालीन यू.आई.टी. द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1968 को श्रीमती शान्ति देवी चौधरी को पट्टा विलेख/विक्रय पत्र की शर्त संख्या 5, 6 व 7 के उल्लंघन के लिये भू खण्ड यू.आई.टी. के हक में पुनर्गहित करने का नोटिस दिया? यदि हां, तो क्या चालीस वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने पर अभी तक उक्त भू-खण्ड का पुनर्ग्रहण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार करोड़ों रुपये

(श्री रणवीर पहलवान)

के भू-खण्डों को अब पुनर्गहित करने का विचार खती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि आबंटन के समय उक्त भू-खण्ड के पिछवाड़े 20 फीट की गली (लेन) थी, जो अब मौके पर नहीं है? यदि हां, तो क्या इस गली को भू-खण्ड धारकों द्वारा अपने भू-खण्ड में सम्मिलित कर लिया है? यदि हां, तो सरकार या सम्बन्धत निकाय ने इसकी मंजूरी कब दी? यदि मंजूरी नहीं दी गई तो सरकार वर्तमान भूखण्डधारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बिना कीमत लिये मात्र सालाना शहरी जमाबन्दी के बदले आंवटित किया गया था।

(2) भूखण्ड आबंटन रियायती दर पर नहीं था। सालाना शहरी जमांबंदी के आधार पर किया गया था।

(3) श्रीमती शान्ति चौधरी को आबंटित नहीं किया, श्रीकिशन चौधरी के देहान्त के उपरान्त यू.आई.टी. के पत्रांक 13157-58 दिनांक 29.10.1965 के द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती शान्ति देवी के नाम ट्रांसफर कर विक्रय पत्र जारी किया गया।

(4) प्रकरण में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार श्रीमती शान्ति देवी द्वारा यू.आई.टी. को दिनांक 16.01.64 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में तीन पुत्र थे उस समय नाबालिग थे का विवरण प्रस्तुत किया गया था । प्रार्थना पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(5) जी हां। दिनांक 29.12.1965 को लीजडीड जारी की गई और श्रीमती शान्ति देवी ने उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाये बिना ही शर्तों का उल्लंघन कर भूखण्ड को दिनांक दिनांक 24.3.1966 को ही श्री मोहम्मद मुनीर खान पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ खान को बेच दिया । इसके सम्बन्ध में यू.आई.टी. द्वारा दिनांक 17.12.1968 को नोटिस जारी किया गया था ।

(6) श्रीमती शान्ति देवी को यू.आई.टी. द्वारा नोटिस क्रमांक 22771 72 दिनांक 17.12.1968 जारी किया था, पुर्नग्रहण नहीं किया है। नोटिस की प्रति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है। अधिग्रहण के सम्बन्ध में भी उक्त नोटिस के पश्चात पत्रावली में कोई कार्यवाही अंकित नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(7) जी हां। वर्ष 1949 में श्री श्रीकिशन पुत्र श्री सुन्दर लाल को पट्टे के साथ जारी साईट प्लान में भूखण्ड के पिछवाड़े में 20'0'' लेन दर्शायी गयी है उसी 20'' में लेन मे से 10'' लेन के पट्टे के साइट प्लान में समाहित करते हुये दर्शाया गया है। साइट प्लान की छायाप्रति परिशिष्ट ''य'' पर संलग्न है।

श्री श्रीकिशन चौधरी की मृत्यु उपरान्त यू.आई.टी. के पत्र क्रमांक 13157-58 दिनांक 19.10.1965 द्वारा उक्त प्लाट का श्रीमती शान्ति देवी के नाम ट्रान्सफर कर विक्रय पत्र जारी किया गया जिसके साथ जारी साइट प्लान में भूखण्ड के पिछवाड़े कोई लेन नहीं दर्शायी गई है साइट प्लान की छायाप्रति परिशिष्ट ''र'' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाराहजी की गली, गणगौरी बाजार जयपुर के आवासीय भवनों का व्यावसायिक भवनों में परिवर्तन

371. **श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाराहजी की गली, गणगौरी बाजार जयपुर में वर्ष 2004 के पश्चात कितने आवासीय भवनों को वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स में परिवर्तित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवासीय काम्पलेक्स को व्यावसायिक कॉम्पलेक्स में परिवर्तन का अनुमोदन किये जाने पर क्या उनमें पार्किंग व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भवन मालिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कतिपय व्यावसायिक काम्पलेक्स में पार्किंग सुविधा के अभाव एवं अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) आवासीय भवनों को व्यावसायिक भवन में परिवर्तित करने की स्वीकृति किन नियमों में प्रदान की गई? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाराहजी की गली, गणगौरी बाजार में वर्ष 2004 के पश्चात भवन निर्माणकर्ताओं के द्वारा स्वयं के स्तर पर 4 आवासीय भवनों को वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स में परिवर्तित किये जाने की जानकारी है लेकिन जांच कराने के बाद ही सही संख्या बताई जा सकेगी।

(2) अभी इसकी जानकारी नहीं है। जांच करने के बाद ही सही स्थिति बताई जा सकेगी। जिन्होंने नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है उनके विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। जांच के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) नगर निगम जयपुर द्वारा उक्त आवासीय भवनों को व्यावसायिक कॉम्पलेक्स में परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी गई है।

पानेरियों की मादड़ी उदयपुर में अनुदान में दी गई भूमि के पट्टे

372. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पानेरियों की मादडी उदयपुर में राजा महाराजाओं द्वारा बख्शीश (अनुदाल) में दी गई भूमि पर परिवार निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने परिवार? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिवारों द्वारा उक्त भूमि के पट्टे हेतु आवेदन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निवासियों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पानेरियों की मादडी उदयपुर में राजा महाराजाओं द्वारा बख्शीश (अनुदान) में कोई भूमि दी गई हो इससे सम्बन्धत रिकार्ड न्यास में उपलब्ध नहीं है। राजस्व ग्राम पानेरियों की मादडी की आबादी भूमि जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा न्यास को हस्तान्तरित की गई है। इस आबादी भूमि पर बडे पैमाने पर मकाननान बने हुए हैं, परन्तु अभी तक निर्मित मकानों अथवा निवास करने वाले परिवारों का अधिकृत सर्वे नहीं किया गया है।

(2) उक्त प्रकार से बसी हुई आबादियों का नियमन स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(ग) ( ) नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.01.2002 एवं क्रमांक प. (ग) () नियम/स्वा.शा.वि/2001/2171 जयपुर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक 09.10.02 एवं क्रमांक प. 1(ग) ( ) नियम/डीएलबी/2001/3981 दिनांक 05.04.02 के अनुसार ही किया जा सकता है। इन परिपत्रों के तहत नियमन किये जाने हेतु उक्त ग्राम के किसी भी निवासी द्वारा न्यास में अभी तक कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु उक्त ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न स्तरों पर नि:शुल्क पट्टे हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं।

(3) नियमों में नि:शुल्क पट्टे जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने से नि:शुल्क पट्टे जारी करना सम्भव नहीं है।

किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) की ढाणियों हेतु पेयजल व्यवस्था

373. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में पचार रोड पर स्थित खाटूवालों की ढाणी, मोहनपुरा बालाजी, पिया की ढाणी तथा इनके आसपास स्थित ढाणियों में पेयजल की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्णित ढाणियों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था निम्नानुसार की जा रही है-

(अ) खाटूवालों एवं पिया की ढाणी-ये ढाणियां किशनगढ़ रेनवाल के झामावाले उच्च जलाशय से पाइप लाइन द्वारा जुड़ी हुई हैं परन्तु अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण इनमें वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है। वर्तमान में क्रमश: दो व एक टैंकर ट्रिप प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(ब) मोहनपुरा बालाजी की ढाणी-इस ढाणी को किशनगढ़ रेनवाल के सतीमाता उच्च जलाशय से जोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन (एकान्तरे) 30 मिनट की अवधि के लिये पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक टैंकर ट्रिप से भी प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है।

किशनगढ़-रेनवाल कस्बे एवं नगरपालिका क्षेत्र की 40 ढाणियों हेतु बनाई गई संवर्धन योजना में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार, आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेना सम्भव होगा।

उपखण्ड कुचामन एवं नावां में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

374. **श्री मानसिंह** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मारोठ में ओवरहैड टैंक निर्माण तथा ग्राम चितावा की पुनर्गठित पाइप्ड योजना की वित्तीय स्वीकृति जयपुर मुख्यालय में लम्बित है? यदि हां, तो कब से और कब तक उक्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी?

(2) उपखण्ड कुचामन तथा नावां में कहां-कहां ट्यूबवैल बनाये जा चुके हैं? उक्त ट्यूबवैलों को कब तक चालू कराकर आम जनता को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मिण्डा में ओपनवैल से पानी सप्लाई करना चालू कर दिया गया है? यदि हां, तो कितनों से और शेष ओपन वैल से कब तक पानी सप्लाई करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपखण्ड कुचामन तथा नावां में किस-किस अनुसूचित जाति की बस्ती में पीने के पानी की योजना स्वीकृत है? क्या स्वीकृत सभी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन बस्तियों में पेयजल क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया और अब कब तक उक्त बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित करने हेतु दिनांक 02 जुलाई, 2009 को फील्ड अधिकारियों को भेजे गये हैं और संशोधन के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। ग्राम मिण्डा में अक्टूबर, 2008 से पूर्व दो विभागीय खुले कुओं से जल वितरण किया जा रहा था। ग्राम पंचायत, मिण्डा द्वारा माह जुलाई, 2008 में निर्मित दो खुले कुओं को विभाग को सुपुर्द करने के पश्चात, विभाग द्वारा उनको गहरा कर एवं होरिजेन्टल बोरिंग का कार्य करवाकर माह अप्रैल, 2009 में चालू कर दिया गया है।

विभाग द्वारा वर्तमान में इन चारों खुले कुओं से ग्राम मिण्डा में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(4) उपखण्ड कुचामन तथा नावां में अनुसूचित जाति की बस्ती हेतु कोई पेयजल योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2009 में उपखण्ड कुचामन तथा नावां में चालू किये गये एवं शेष चालू किये जाने वाले नलकूपों के सम्बन्ध में विवरण

क्र. सं.	जल योजना का नाम	नलकूप का स्थान	स्वीकृति विवरण		वर्तमान स्थिति	चालू करने का संभावित माह/ वर्ष
			माह/ वर्ष	राशि (रु. लाख में)		
उपखण्ड कुचामन						
1.	शहरी जल योजना, कुचामन शहर	दीपपुरा रोड, कुचामन	अक्टूबर, 2008	7.50	2 नलकूप निर्माण उपरान्त चालू कर विद्यमान वितरण प्रणाली से जोड़ दिये गये हैं।	-
2.	शहरी जल योजना, कुचामन शहर	दीपपुरा रोड, कुचामन	मार्च, 2009	21.00	3 नलकूप चालू कर दिये गये हैं एवं अन्य कार्य भी पूर्ण कर लिये गये हैं।	-
3.	पम्प एवं टैंक, ग्राम रावां	रावां नाडी में	मई, 2008	2.67	एक नलकूप निर्माण उपरान्त चालू कर विद्यमान प्रणाली से जोड़ दिया गया है।	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	पम्प एवं टैंक, ग्राम काकोट	प्रेमपुरा रोड, काकोट	अक्टूबर, 2008	2.50	एक नलकूप निर्माण उपरान्त चालू कर विद्यमान प्रणाली से जोड़ दिया गया है।	-
5.	संवर्धन पाइप्ड योजना, ग्राम रूपपुरा	रूपपुरा नाडी में	अक्टूबर, 2008	7.87	एक नलकूप चालू कर दिया गया है। योजना के अन्य कार्य भी पूर्ण कर लिये गये हैं।	-
6.	संवर्धन क्षेत्रीय योजना, ग्राम पदमपुरा-हनुमानपुरा	ग्राम लीचाणा स्थित जी एस.एस. के पास	फरवरी, 2007	5.05	एक नलकूप चालू कर दिया गया है। योजना के अन्य कार्य भी पूर्ण कर लिये गये हैं।	-
7.	पम्प एवं टैंक, ग्राम इन्दोखा	बावरियों का बास	मार्च, 2009	4.50	एक नलकूप चालू कर दिया गया है। अन्य कार्य भी पूर्ण कर लिये गये हैं।	-
8.	पम्प एवं टैंक, ग्राम भीलाल	नाडी में	अक्टूबर, 2008	3.00	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं विकास कार्य शेष रहा है।	9/09
9.	क्षेत्रीय योजना, हुडिल -नेहरूनगर	स्त्रोत ग्राम, हुडिल	अक्टूबर, 2008	3.00	एक नलकूप का वेधन एवं विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	9/09

1	2	3	4	5	6	7
10.	पम्प एवं टैंक, ग्राम बुटीनाथपुरा	स्त्रोत ग्राम, सूरतपुरा	अक्टूबर, 2008	2.70	प्रथम चरण की स्वीकृति अनुरूप भू-जल विभाग से एक सफल नलकूप का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग एवं पाइप लाइन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	9/09
11.	पम्प एवं टैंक, ग्राम खोरंडा	खोरंडा ग्राम में	फरवरी, 2007	5.05	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	8/09
12.	पम्प एवं टैंक, ग्राम छापरी	छापरी ग्राम में	फरवरी, 2007	5.05	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	8/09
13.	पम्प एवं टैंक, ग्राम राजपुरा	स्त्रोत ग्राम भाडासर में	फरवरी, 2007	3.75	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	8/09
उपखण्ड नावां						
1.	पम्प एवं टैंक, ग्राम भूणी	ग्राम में	जनवरी, 2008	2.85	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	9/09
2.	पम्प एवं टैंक, ग्राम महाराजपुरा	जोशीपुरा	जनवरी, 2008	2.94	एक नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नलकूप कमीशनिंग का कार्य शेष है।	9/09

वेतन श्रृंखला 1 से 6 के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

375. श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो इन वेतन श्रृंखला के पदों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार के पास क्या विकल्प है?

उत्तर

वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा की जाकर क्रियान्वित की जाती हैं। इन पदों पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों के संदर्भ में अनुकम्पात्मक नियुक्तियां की जा रही हैं।

वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से विभाग में आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है, ताकि राज्य में पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

बयाना एवं रूपवास तहसील में स्वीकृत हैण्ड पम्प

376. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील बयाना एवं रूपवास क्षेत्र में पेयजल समस्या हेतु वर्ष 2003 से 2008 तक ग्रामवार कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कितने हैण्डपम्प लगवाये गये एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को कितने हैण्डपम्प लगने शेष थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शेष हैण्डपम्प छह महीने व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं लगवाये गये?

(3) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता बयाना के पास शेष रहे 77 हैण्डपम्पों की राशि प्रत्याहरित करने के पश्चात प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान के पत्र द्वारा रूकवा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2003 से 2008 की अवधि में बयाना एवं रूपवास तहसील

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये स्वीकृत, स्थापित एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक शेष रहे हैण्डपम्पों के संदर्भ में वांछित विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) शेष हैण्डपम्पों के निर्माण के सम्बन्ध में पुर्ननिरीक्षण किया जाकर, प्राथमिकता एवं आवश्यकता अनुसार लगवाये जाने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर के रायल्टी ठेकेदार द्वारा लाइम स्टोन का अवैध खनन कार्य

377. **श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियंता, नागौर के क्षेत्राधिकार में रायल्टी वसूली ठेकेदार जमवाय ऐसोसियेट द्वारा नागौर जिले के विभागीय रिजर्व व अन्य अवैध क्षेत्रों में लाइम स्टोन का अवैध खनन करवाकर निर्गमित खनिज पर नियम विरूद्ध फर्जी रसीदें जारी कर रायल्टी वसूली करके सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है?

(2) क्या उक्त अनियमितता की जांच बाबत अतिरिक्त निदेशक, जोधपुर द्वारा एक समिति का गठन किया गया? क्या समिति की जांच रिपोर्ट में 2100 डुप्लीकेट रसीदें व 105 उंवाटर मार्का की फर्जी रसीदें रायल्टी ठेकेदार द्वारा जारी की गई? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29 सितम्बर, 2005, 9 जनवरी, 2006, 29 सितम्बर, 2006, व 13 अप्रैल, 2007 को अधीक्षण खनिज अभियन्ता बीकानेर द्वारा रायल्टी ठेकेदार द्वारा शर्तों की पालना की जांच बाबत खनिज अभियंता, नागौर को निर्देश दिये गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि समिति की रिपोर्ट में खनिज अभियंता नागौर द्वारा उक्त अनियमितता की और ध्यान नहीं देना व लापरवाही होने का उल्लेख किया गया है

(5) क्या यह भी सही है कि अधीक्षण खनिज अभियंता द्वारा समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर 2100 डुप्लीकेट रायल्टी रसीदें व 105 उंवाटर मार्क की फर्जी पर्चियों का उपयोग कर अवैधानिक तरीके से रायल्टी वसूली

(श्री हबीबुर्रहमान)

करने वाले ठेकेदार एवं पट्टेधारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु खनिज अभियंता, नागौर को दिनांक 20 फरवरी, 2009 को लिखा था? क्या खनिज अभियंता द्वारा न तो रायल्टी वसूली और न ही ठेकेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया तथा न ही प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए ठेका खण्डित किया गया ? क्या उक्त प्रकरण में सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ?

(6) क्या सरकार द्वारा उक्त खनिज अभियंता नागौर के विरूद्ध कोई कार्यवाही ही गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(7) क्या सरकार अवैधानिक रूप से रायल्टी वसूली करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध डुप्लीकेट रायल्टी रसीदें जारी करने के कारण मुकदमा दर्ज कराने एवं अवैधानिक रूप से वसूल की गई रायल्टी की वसूली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर के समक्ष फर्जी रवन्ना बाबत श्री गौतम चन्द्र शर्मा की शिकायत दिनांक 8.8.2008 की जांच उनके द्वारा की गई है। जिसमें डप्लीकेट रायल्टी रसीदों का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया जाना बताया गया है। अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रदर्श ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां । रिपोर्ट प्रदर्श-''अ'' पर संलग्न है।

(3) अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा दिनांक 27.9.2005, 9.1.2006, 29.6.2006 एवं 13.4.07 को सभी वृत्त के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को रायल्टी के ठेकों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।

(4) अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर की रिपोर्ट के अन्तिम पैरा में यह उल्लेख कि ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान नहीं दिया गया। यदि ध्यान दिया जाता तो यह स्थिति नहीं बनती।

(5) अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा जांच प्रतिवेदन खनि अभियंता, नागौर को दिनांक 20.2.2009 को भेजा गया, जो खनि अभियंता, नागौर को 24.2.2009 को प्राप्त हुआ जिसके क्रम में खनि अभियंता, नागौर ने दिनांक 6.3.09 को जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु दिनांक 6.3.2009 से पूर्व दिनांक 20.2.2009 को जांच रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं के लिए ईआरसीसी ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया । इस प्रकरण में ईआरसीसी ठेकेदार द्वारा सिविल

(खनिज राज्य मंत्री)

न्यायाधीश (क.खं.), नागौर में एक वाद क्रमांक 22/09 दायर किया। मुकदमे में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक, नागौर द्वारा दिनांक 17.3.2009 को खनि अभियंता, नागौर को पत्र द्वारा लिखा कि प्रकरण में यथास्थिति कायम रखें। इसी कारण से दिनांक 6.3.2009 के नोटिस पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रदर्श-''ब''

(6) निदेशालय द्वारा अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर को प्रकरण में विस्तृत परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लिखा गया जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर द्वारा प्राथमिकी जांच संख्या 60/2009 दर्ज कर जांच की जा रही है।

(7) प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर द्वारा प्राथमिकी जांच संख्या 60/2009 श्री जे.पी. जाखड़ खनि अभियंता, नागौर व अन्य के विरूद्ध दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच परिणाम अनुसार नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

प्रदर्श-अ

जांच रिपोर्ट

श्री गौतमचन्द शर्मा ने अपने पत्र दिनांक 8.8.2008 से एक शिकायत अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर कार्यालय को भिजवाई गई थी । जो संलग्न 1 पर है। श्री शर्मा ने यह आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा रिजर्व क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की डुप्लीकेट रसीद से रॉयल्टी वसूल कर रहा है, और उसके द्वारा माहवारी रिटर्न रवन्ना की, द्वितीय प्रति सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर ने पत्र दिनांक 11.8.2008 से शिकायत की छाया प्रति संलग्न कर खनि अभियंता, नागौर से रिपोर्ट अविलम्ब हेतु लिखा गया था । खनि अभियंता, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 18.8.2008 से यह अवगत कराया कि शिकायत तथ्यहीन है। अधीक्षण खनि अभियंता कार्यालय ने पत्र दिनांक 15.9.2008 से गौतम शर्मा को यह कहा गया कि शिकायत के सम्बन्ध में उनके पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज की फोटो प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करावें । शिकायतकर्ता ने इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं भेजा । एक दिन शिकायतकर्ता मैसर्स जमवाय एसोसियेट ठेकेदार द्वारा जारी रॉयल्टी रसीदे लेकर कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर में उपस्थित हुआ। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मूल रसीदें देने को कहां तो

शिकायतकर्ता ने इन्कार कर दिया एवं कुछ रसीदों की फोटो स्टेट प्रतियां उपलब्ध करवाई।

उक्त फोटो स्टेट रसीदों की जांच करने पर मालूम हुआ कि एक ही नम्बर की दो रसीदे लाइमस्ओन ठेकेदार द्वारा अनग-अलग दिनांक को जारी की हैं। दोनों ही रसीदों पर विभाग की गोल मोहर लगी हुई थी। दिनांक 26.9.08 को अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं ठेकेदार के विभिन्न नाकों पर सत्यापन हेतु गया परन्तु तत्समय नाकों पर ऐसी कागजी साक्ष्य नहीं मिला जिससे शिकायती तथ्यों का सत्यापन हो सके । मामले की गम्भीरता को देखते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 10.10.2008 को श्रीमान निदेशक महोदय को सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए यह निवेदन किया की यह जांच निदेशालय की सतर्कता टीम से कारवाई जाये। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अगर निदेशालय उचित समझे तो अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में जांच करवाई जा सकती है, परन्तु सहायता के लिए निदेशालय से टीम भिजवाई जाये।

निदेशालय ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2008 से अतिरिक्त निदेशक, (खान) जोधपुर की अध्यक्षता में अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों की एक टीम गठित की जाकर प्रकरण की जांच रिपोर्ट मय टिप्पणी के निदेशालय हेतु अति. निदेशक, (खान) जोधपुर को निर्देशित किया गया ।

अतिरिक्त निदेशक, (खान) जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 13.1.2009 से अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर प्रकरण की जांच किये जाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 16.1.2009, 17.1.2009 एवं 18.1.2009 को जोधपुर जिले के खेजड़ला, पीपाड़ आदि में स्थित विभिन्न चूना बनाने वाली निम्न फैक्ट्रींयो का निम्न अवधि के रिकार्ड मौके पर जाकर प्राप्त किया :-

1. मैसर्म सिगमा मिनरल्स	वर्ष 2008-09
2. मै. सुगर रिफाइनरी	वर्ष 2007-08, 2008-09
3. मै. ओरियन्ट केमिकल्स	वर्ष 2008-09
4. मै. श्रीकान्त मिनरल्स	वर्ष 2008-09
5. मै शिवम केमिकल्स	वर्ष 2008-09
6. मै. अंकुर मिनरल्स प्रा. लि.	वर्ष 2008-09

7. श्री विजय मिनरल्स　　　　　　　　　वर्ष 2008-09

8. श्रीराम मिनरल्स　　　　　　　　　　वर्ष 2007-08, 2008-09

उपरोक्त पार्टियों से प्राप्त वर्ष 2008-09 की रायल्टी रसीद एवं रवन्ना के डाटा कम्प्यूटर में फीड करवाये गये। इस प्रकार कुल 9897 रायल्टी रिकार्ड फिड किये गये, सूची संलग्न-2 पर उपलब्ध है । डाटा फिडिंग के पश्चात् उसका संकलन कर आई.टी. विशेषज्ञ की सेवाये प्राप्त कर यह लगाया गया कि एक ही नम्बर की कितनी रायल्टी रसीदें ठेकेदार द्वारा एवं एक ही नम्बर की कितनी रवन्ना पट्टाधारी द्वारा जारी की गई है, उसकी सूचीयां प्राप्त की गई । सूची संलग्न-3 एवं संलग्न-4 पर उपलब्ध है। इसके अलावा राल्टी ठेकेदार ने 105 पर्चियां भी जारी की गई है। उस पर ऊ (वाइरमार्क) अकिंत है। उसकी सूची मय पर्चियां की फोटो प्रतियां संलग्न-5 पर उपलब्ध है।

सलग्न-2 पर उपलब्ध रायल्टी रिकार्ड से स्पष्ट है कि ठेकेदार ने 56 रायल्टी रसीदें डुप्लीकेट जारी की है। इसके अलावा तीन रसीदें ऐसी भी देखी जा सकती है, जिन पर नम्बर अंकित नहीं है। उपरोक्त 56 में से 36 डूप्लीकेट रसीदों पर विभागीय मोहर अंकित है, शेष 20 डुप्लीकेट एवं तीन जिन पर नम्बर अंकित नहीं है उन पर विभागीय गोल मोहर भी नहीं है। इसके अलावा 56 डुप्लीकेट यानी 112 रसीदों में 6 रसीदों पर रवन्ना नम्बर अंकित है, परन्तु 112 में से 111 के साथ रवन्ना की प्रति संलग्न है। संलग्न-4 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि कुल 77 रवन्ना डुप्लीकेट नम्बर के पाये गये इन 77 में से 7 रवन्ना के पट्टाधारी अलग-अलग है। सम्भवतया सिरिज अलग होनी चाहिये। इसका पता खनि अभियंता कार्यालय से लगाया जा सकता है। खनि अभियंता कार्यालय से जो रवन्ना रजिस्टर प्राप्त किया गया था उसमें सिरिज अंकित नहीं थी, परन्तु 70 खान्ना जो निम्न पट्टाधारियों ने जारी की उन्होंने रवन्ना की प्रथम द्वितीय कहीं-कहीं तृतीय प्रति भी खनिज को निर्गमन करने के लिए उपयोग मे ली गई है।

1. बजरंग केमिकल्स एमएल नं. 75/01	02
2. चुन्नीलाल पेमाराम एमएल नं.	01
3. मारवाड़ मिनरल्स एमएल नं. 285/92	04
4. लादूराम एमएल नं. 45/94	31
5. विनोद कुमार चौधरी एमएल नं.	30
6. चण्डी केमिकल्स	02

उपरोक्त तथ्यों से निम्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

1. रायल्टी ठेकेदार को डुप्लीकेट रसीदें जारी करने की क्यों आवश्यकता हुई। वह जितनी चाहे रायल्टी रसीदें विभाग से प्राप्त कर सकता है। कोई सीमा नहीं है।
2. पट्टाधारी द्वारा प्रथम-द्वितीय-तृतीय प्रति का उपयोग क्या किया गया। जबकि वह रायल्टी अनपेड की रवान्ना बुकें उत्पादन के अनुसार निर्गमन हेतु विभाग से प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है।

नियमों के अन्तर्गत पट्टाधारी खनिज भरे वाहन चालक को रवाना की प्रथम एवं द्वितीय प्रतियां उपलब्ध कराना है। वाहन रायल्टी के ठेकेदार को उक्त दोनों प्रतियां नाके पर उपस्थित नाकेदार को देता है । नाकेदार द्वारा वाहन चालक से रॉयल्टी वसूल कर रवन्ना नम्बर अंकित कर रायल्टी रसीद जारी करता है। उक्त रायॅल्टी रसीद की प्रथम प्रति अंकित के साथ रवन्ना की प्रथम प्रति टर्न पुनः वाहन चालक को लोटा देता है एवं द्वितीय प्रति अपने रिकार्ड में रखता है। उक्त रवान्ना की द्वितीय प्रति रायल्टी रसीद की द्वितीय प्रति माहवारी रिटर्न के साथ सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है, जो खनिज अनाधिकृत खनन कर निर्गमन किया जाता है उसके लिए रवन्ना कहां से प्राप्त किया जाय? क्योंकि बिना रवन्ना ठेकेदार वैध रायल्टी रसीद जारी नहीं कर सकता ।

रिकार्ड अनुसार अधिकतर फैक्ट्री मालिक (कन्जूमर) बिना रायल्टी रसीद एवं रवन्ना से खनिज को लेने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में पट्टाधारी एवं रॉयल्टी ठेकेदार ने मिलकर एक सिस्टम इवोल्व किया, जिसके द्वारा नागौर जिले में अवैध खनन कर निकाले गये लाइम स्टोन को फैक्ट्री मालिक को बेचने के लिए पट्टाधारी ने रवन्ना की द्वितीय एवं तृतीय प्रति एवं रायल्टी ठेकेदार ने डुप्लीकेट रायल्टी रसीद का सहारा लिया जिससे खान मालिक को खनिज की कीमत मिल गयी एवं रायल्टी टेकेदार को खनिज की रायल्टी प्राप्त हो गयी । उपरोक्तानुसार रायल्टी ठेकेदार ने कम से कम कुल 21 डुप्लीकेट रायल्टी बुक यानि 2100 रायल्टी रसीदों का उपयोग में ली गई हैं। अधिकतम सीमा की जानकारी नहीं है । इसके अलावा 105 पर्चियां ऐसी देखी गई जिसके ऊपर ओम (वाटर मार्क) छपा है, जिसके साथ न रवन्ना है और न ही उस पर विभागीय मोहर है। पर्चियां की सूची मय फोटो कॉपी संलग्न-5 पर उपलब्ध है। इन पर्चियों की जांच करने पर निम्न स्थिति सामने आयी है।

पट्टाधारी का नाम	फैक्ट्री का नाम	वजन (मै. टन)
चण्डी केमिकल्स	सुगर केमिकल्स	41.8
मारवाड़ मिनरल्स	शिवम केमिकल्स	462.97
मारवाड़ मिनरल्स	ओरियन्ट	1226.6
	कुल	**1731.37 मै. टन**

उपरोक्तानुसार रायल्टी ठेकेदार एवं खान मालिकों ने संविदा का उल्लंघन किया है। उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

मामले में खनि अभियन्ता को निर्देशित किया जाना आवश्यक होगा कि वे सभी लाईमस्टोन पट्टाधारी के पूर्व रायल्टी एसेस्टमेन्ट जो किये जा चुके हैं उन्हें रिओपन कर यह जानकारी प्राप्त करें कि उनको जारी रवन्ना की द्वितीय/तृतीय प्रति कहां है । उसे प्राप्त कर तदनुसार पुनः निर्धारण करें। जिससे यह भी आंकलन हो जायेगा कि किस पट्टाधारी/अन्य ने कितना खनिज अनाधिकृत रूप से खनन कर निर्गमन किया ।

इसके अलावा उपरोक्त के अलावा वह यह भी जानकारी प्राप्त करना उचित होगा कि रायल्टी ठेकेदार ने पर्चियां एवं रवन्ना की द्वितीय एवं तृतीय प्रतियों का सहारा लेते हुए कितने टन खनिज का निर्गमन किया है। तदनुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उपरोक्त अवैधानिक कार्यवाही ठेकेदार एवं पट्टाधारी ने मिल कर नागौर जिले में अवैध खनन से निकलने वाले खनिज को निर्गमन हेतु की गई ।

खनि अभियंता, नागौर को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 27.9.2005, 9.1.06, 29.9.06, 13.4.2007 (बैठक विवरण) में यह स्पष्ट निर्देश दिय गये थे कि वे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत माहवारी रिटर्न को चैक करें कि ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं । उक्त कार्यवाही नागौर जिले में हो रहे अनाधिकृत खनन की रोकथाम में सहायक होगा, परन्तु जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि खनि अभियंता, नागौर कार्यालय द्वारा ध्यान नहीं दिया, अगर उचित समय में ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से यह स्थिति नहीं बनती एवं अनधिकृत खनन में भी निश्चित रूप से कमी आती । उपरोक्त पत्रों की प्रति संलग्न-6, 7, 8, 9 पर उपलब्ध है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

अधीक्षण खनि अभियन्ता
बीकानेर, वृत्त बीकानेर

प्रदर्श-ब

कार्यालय : अपर लोक अभियोजक, नागौर, राज.

क्रमांक SPL 2009 दिनांक 17.3.2009

प्रेषिति- **खनिज अभियन्ता,**
खनि एवं भू-विज्ञान विभाग,
नागौर।

विषय :- दीवानी विविध सं. 22/09 अनवान प्रार्थी मैसर्स जमवाय एसोसिएट्स मार्फत साझेदार मोहनराम व भागीरथराम बनाम अप्राथीगणना खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नागौर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.खं.) नागौर द्वारा जारी स्थगन आदेश दि. 17.3.2009 की पालना कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.खं.) नागौर में उपरोक्त, प्रकरण में दिनांक 17.3.2009 को प्रकरण सुनवाई रखा हुआ था । अप्रार्थी आपके विभाग की ओर से मेरे द्वारा पेरवी करते हुए माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण में आगामी आदेश तक यथास्थिति कायम रखने की अण्डर टेंकिंग प्रस्तुत की थी । इस सम्बन्ध में आपको लिखित में सुचित किया जा रहा है।

अत: आपको सूचित किया जा सहा है कि न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की पालना न्यायालय के आगामी आदेश तक सुनिश्चित कर दी।

भगवान सिंह राठौड़, 17/3/2009
अपर लोक अभियोजक, नागौर

प्रदेश में साइबर क्राइम को रोकने हेतु प्रस्तावित योजना

378. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार साइबर क्राइम को रोकने के लिए योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

साइबर अपराधों को रोकने के लिए ''साइबर अपराध सैल'' एस.ओ.जी. में कार्यरत है। जिसमें विभिन्न ई-मेल संदेशों को ट्रेस कर उनके

(गृह मंत्री)

भेजने वाले का पता लगाना, साइबर अपराधों में विभिन्न बैंक खातों से हुए ऑन लाइन, लेन-देन के स्रोत का पता लगाना, विभिन्न ई-मेल प्रदाताओं से संदिग्ध ई-मेल पतों के लॉग व अन्य विवरण पता करना, विभिन्न मोबाइल सर्विस प्रदाताओं से संदिग्ध मोबाइल नम्बरों अथवा टावरों के कॉल एवं जीपीआरएस विवरण प्राप्त कर उनका विश्लेषण करने इत्यादि शामिल है।

मालेरा ग्राम (जयपुर) के थाना क्षेत्र का परिवर्तन

379. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मालेरा का थाना क्षेत्र मुख्यालय आमेर है, जो मालेरा ग्राम से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है?

(2) क्या सरकार ग्राम मालेरा का थाना क्षेत्र सामोद में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भूमि अवाप्ति से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्तीकरण

380. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमियों को अधिसूचित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड को अध्यतन अथवा दुरूस्तीकरण करने के सन्दर्भ में क्या सरकार के कोई नियम अथवा नीतिगत निर्णय है? यदि हां, तो नियम/नीतिगत निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं।

बीकानेर जिले में राजस्व पटवारियों के रिक्त पद

381. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) जिला बीकानेर में राजस्व पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व पटवारियों के रिक्त पद भरने का विचार रखती हे ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में राजस्व पटवारियों के कुल 295 पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से 49 पद रिक्त हैं। तहसीलवार कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

नाम तहसील	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
बीकानेर	42	42	0
लूणकरणसर	45	34	11
नोखा	50	46	4
कोलायत	46	40	6
पूंगल	24	20	4
छतरगढ़	22	15	7
खाजूवाला	18	12	6
डूंगरगढ़	45	34	11
जिला कार्यालय	3	3	0
कुल	**295**	**246**	**49**

(2) जी हां। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कर 1500 पटवारियों का परिणाम घोषित किया गया है। राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा एवं तत्पश्चात पटवार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के विपरीत पटवारी पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांव

382. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्व में नये राजस्व गांव बनाये गये ? यदि हां, तो किस आधार पर?

(2) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की कितनी ढाणियों एवं मजरों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा नवीन ग्राम घोषित किये गये है । नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाली ढाणियों/मजरों को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में जारी नवीनतम परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-क संलग्न है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में वर्ष 1995 से अब तक 28 ढाणियों/ मजरों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। जिनकी सूची परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सांभर झील के संरक्षण की कार्य योजना

383. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर झील के संरक्षण व विकास के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नम भूमि संरक्षण योजना के तहत कुछ कार्य कराये गये है? यदि हां, तो गत पांच वर्षो में उक्त योजना में क्या-क्या कार्य कब व कितनी राशि के स्वीकृति किये गये? उक्त स्वीकृत कार्यों में से क्या–क्या कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सांभर झील के संरक्षण एवं विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी एवं वर्ष 2001-2002 से सांभर नम भूमि के संरक्षण एवं

(वन राज्य मंत्री)

विकास हेतु इसके जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि, सामुदायिक बजड़ भूमि तथा कृषि भूमि में भू एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित करवाये जा रहे हैं।

भारत सरकार को वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 तक सांभर झील के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना दिसम्बर 2005 में भिजवाई गई। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र दिनांक 14.10.2008 द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 11 झीलों के संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये हैं। जिनमें सांभर झील भी शामिल है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नम भूमि संरक्षण योजना के तहत कुछ विकास कार्य कोरसिना उप जल ग्रहण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2004-05 में करवाये गये थे। गत पांच वर्षों में वर्ष 2004-05 में कोरसिना उप जलग्रहण क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों एवं उन पर व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण/प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर में गंदे पानी से उत्पादित सब्जियों से हानि

384. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जयपुर के आस-पास बड़े पैमाने पर गन्दे नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं जिससे जनता के स्वास्थ्य को भारी खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गन्दे पानी से सब्जियां नहीं उगाई जाती है लेकिन सांगानेर क्षेत्र में अमीनाशाह नाले में निजी खातेदारों की जमीन में सब्जियां उगाई जाती है, गूलर के बंधे की नहर के पानी से एवं जयसिंहपुरा खोर में सिंचाई विभाग की नहर जिसमें जलमहल का पानी आता है, उस पानी से आस पास के किसान अपनी भूमि में खेती एवं सब्जियां उगाने के काम में लेते

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हैं। जहां तक जनता के स्वास्थ्य को भारी खतरा पैदा होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विभाग को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालय के कार्मिकों को आवास सुविधा

385. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य के दूरस्थ गांवों में संचालित किये जा रहे सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सब सेन्टरों में अधिकतर पदस्थापित, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ के लिए आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 2005-06 से जून 2009 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 792 चिकित्सकों एवं 810 पैरोमेडिकल/नर्सिंग तथा 179 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्डबॉय के आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से कुल 1426 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 66 चिकित्सकों एवं 225 पैरामेडिकल/नर्सिंग के आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से कुल 223 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध होती है।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में स्टाफ के आवास गृहों के निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर चरणबद्ध रूप से स्टाफ के आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

386. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने उप स्वास्थ्य/स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रेमचन्द)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत उप स्वास्थ्य/स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद ए.एन.एम. डाक्टरों के रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 46 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनके नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरा एवं पीपल्दा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, किशोरपुरा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक-एक पद रिक्त है।

(3) जी हां। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है किन्तु माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण कुछ पदों पर कार्य ग्रहण नही कराया जा सका है।

परिशिष्ट 'अ'

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटावा
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडादीप सिंह
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्बलढीपरी
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गेंता
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अयाना

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खातौली
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावरा
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडोद
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखसनीजा
12.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ककरावदा
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लुहावद
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, करवाड़ा
15	उप स्वास्थ्य केन्द्र, निमोला
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जालेदा खातिया
17.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, विनायका
19.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुरा (अयाना)
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गणेशगंज
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सहनावदा
22.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोनेरा
23.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, छापोल
24.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जोरावरपुर
25.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रजोपा
26.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढीपरी
27.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रनोदिया
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरली
29.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा खुर्द
30.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सीनोता
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बूलिया खुर्द
32.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नीमसरा

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
33.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्जनपुरा
34.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अयानी
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बालूपा
36.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तलाव
37.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, केथूदा
38.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जटवाडी
39.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागली
40.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ख्यावदा
41.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरदा
42.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुरा
43.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बनेठिया
44.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ली तवरान
45.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पडासलिया
46.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढाकरवाड़ा
47.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, किशोरपुरा
48.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोताड़ा
49.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेरूला
50.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिसलोई
51.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, झाडगांव
52.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बूढादीत
53.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जालिमपुरा
54.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुरा
55.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बमोरी
56.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सारोला
57.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तोरण

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की सम्पर्क सड़कें

387. **डा. जसवंत सिंह यादव** (बहरोड़) :क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड के कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोडने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

दौसा जिले में बैजवाड़ी से पपलाज सड़क निर्माण

388. **श्री मुरारी लाल मीणा** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बैजवाड़ी से पपलाज माता सड़क की कुल लम्बाई कितनी है तथा उक्त सड़क निर्माण में कितनी राशि की आवश्यकता है?

(2) उक्त सड़क हेतु स्वीकृत राशि में क्या सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो जावेगा? यदि नहीं, तो सरकार शेष राशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बैजवाड़ी से पपलाज माता मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि.मी. है, जिसमें से 1.00 कि.मी. लम्बाई में डामर सड़क पूर्व में बनी हुई है तथा 1.50 कि.मी. में डामर सड़क का निर्माण कार्य राज्य सड़क निधि योजना में वर्तमान में प्रगति पर है। शेष 4.5 कि.मी. लम्बाई में डामर सड़क एवं पुल इत्यादि निर्माण हेतु राशि रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता होगी।

(2) जी नहीं। शेष 4.5 कि.मी. लम्बाई में डामर सड़क का निर्माण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

कोलायत (बीकानेर) में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सड़क निर्माण में अनियमितता

389. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 से 2008 तक सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) में सड़कों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो जिला बीकानेर की विधान सभा क्षेत्र कोलायत की सड़कों पर आबंटित राशि, लम्बाई, कार्य पूर्ण होने की तिथि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य में पेवर मशीन के माध्यम से सड़कों का निर्माण नहीं किया गया व उक्त सड़कों हेतु ठंडी निर्माण सामग्री को मिक्सिंग प्लांट 100 से 150 किलोमीटर दूर बीकानेर से लाया गया, जिससे सड़कों पर स्तरहीन काम हुआ और निर्माण कार्य शीघ्र ही बिखर गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़कों पर मिट्टी कार्य में पूर्ण दबाव नहीं दिया गया व निर्माण सामग्री निर्धारित मानदण्डानुसार काम में नहीं ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ठेकेदार से हुए एग्रीमेंट के अनुसार उक्त सड़कों पर पुनः रि-कारपेटिंग करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003 से 2008 तक सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) में सड़कों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवायी गयी थी । जिला बीकानेर की वर्तमान कोलायत विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर आबंटित राशि, लम्बाई, कार्य पूर्ण होने की तिथि आदि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-''अ'' के अनुसार है।

(2) उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों में से 32 सड़कों पर पेवर मशीन के माध्यम से सड़कों का निर्माण नहीं किया गया एवं उक्त सड़कों हेतु निर्माण सामग्री निर्धारित मापदण्डानुसार मौके पर मिनी हॉट मिक्सिंग प्लान्ट से मिक्स कर कार्य किए गये। 16 सड़कों पर पेवर मशीन से कार्य किया गया था

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उनमें ली गयी निर्माण सामग्री 50 से 70 कि.मी. दूरी से दियातरा, आर.डी.-865, बरसलपुर एवं बीकानेर बाइपास (जोधपुर-जयपुर सैक्शन) पर स्थित हॉट मिक्स प्लान्ट से लाई गयी थी। मौके पर पहुंची निर्माण सामग्री तापक्रम, अवधि के अनुसार निर्धारित मापदण्डानुसार थी। सड़कों का कार्य बिखरा नहीं है। शेष 7 सड़कों में 4 सड़कों पर सीमेन्ट कंक्रीट, 2 सड़कों पर ग्रेवल व 1 सड़क पर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य करवाया गया। सड़कवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-''अ'' के कॉलम संख्या 8, 9 व 10 के अनुसार है।

(3) उक्त सड़कों पर स्वीकृत तकमीने अनुसार पूर्ण दबाव (कम्पेक्शन) शामिल नहीं था, अतएव नहीं करवाया गया है। निर्माण सामग्री जैसे ग्रिट, बिटुमन, बेलास्ट आदि निर्धारित मापदण्डानुसार काम में ली गई है।

(4) जी नहीं। ठेकेदार से हुए अनुबन्ध के अनुसार उक्त सड़कों पर पुनः रि-कारपेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नेशनल हाईवे संख्या 11 के क्षेत्र रतनगढ़ की सड़क सीमा की भूमि पर अतिक्रमण

390. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (काली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नेशनल हाइवे के दोनों तरफ सड़क सीमा में कितनी-कितनी भूमि आती हैं? मानदण्डों एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नेशनल हाइवे संख्या 11 के क्षेत्र पूर्वी बस स्टेण्ड बीरमसर के दोनों ओर कितनी-कितनी भूमि सड़क सीमा की है? नाप सहित मय नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से पट्टियों को बाडा कर रखा है एवं पत्थरों वं पट्टियों के पेडे (ढेर) लगाकर अतिक्रमण भी कर रखा है? यदि हां, तो किस ने और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा सहायक अभियंता नेशनल हाइवे उपखण्ड रतनगढ़ को की गई थी? यदि हां, तो क्या सहायक अभियंता द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए उच्चधिकारियों एवं स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(5) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नेशनल हाइवे के मापदण्डों के अनुसार समतल व ढालू भू भाग में सड़क के मध्य भाग से दोनों तरफ 15 से 30 मीटर तक कुल 30 से 60 मीटर तक सड़क सीमा निर्धारित है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) नेशनल हाइवे 11 पर बीरमसर में राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार सड़क के मध्य से दोनों तरफ 30 मीटर यानि कुल 60 मीटर की भूमि सड़क सीमा की है। जमाबंदी की नकल के अनुसार पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम खसरा नं. 340 में 33-15 बीघा भूमि है। जिसमें बीरमसर बस स्टेंड के पास का क्षेत्र सम्मिलित है। जमाबंदी व खसरा प्लान की प्रति परिशिष्ट (ब व स) पर संलग्न है।)

(3) जी हां। बीरमसर में श्रीराम पुत्र श्री भंवरलाल प्रजापत मोहन लाल पुत्र स्व. श्री नेताराम एवं मामराज ने पट्टियों का बाडा कर रखा है एवं पट्टियों के ढेर लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। स्थानीय लोगों से ली गई जानकारी के अनुसार विगत 4-5 वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है।

(4) जी हां। सहायक अभियन्ता द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं को दिनांक 20.3.2009 को एवं 11.5.2009 को उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़, अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ. मार्ग खण्ड चूरू व तहसीलदार रतनगढ़ को पत्र लिखे गये थे। जिनकी प्रति परिशिष्ट (द) पर संलग्न है।

(5) जी हां। दिनांक 23.07.2009 तक अतिक्रमियों द्वारा लगभग 90 प्रतिशत अतिक्रमण हटा दिये गए हैं व शेष अतिक्रमण को हटाने का कार्य प्रगति में है। अतिक्रमण को पूर्ण रूप से नहीं हटाने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु निर्धारित मानदण्ड

391. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जाने पर उनको ठीक कराने के लिए विद्युत कार्यालय ले जाने, लादने, उतारने का सारा कार्य किसान को ही करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को तय करने के सरकार द्वारा क्या नियम बनाये हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को फीडर रेनोवेशन या किसी और योजना के माध्यम से ठीक कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उसके एवज में ट्रांसफार्मर लगाने के लिये ट्रांसफार्मर को लाने, ले जाने का कार्य साधारणतया स्वंयं कृषकों द्वारा किया जाता है। यह प्रकिया विद्युत निगमों में विगत 10-15 वर्षो से चल रही है। इस बारे में लिखित में कोई नियम बने हुए नहीं हैं। किसानों के आपसी विश्वास एवं सहयोग से यह कार्य किया जाता है।

(2) जी नहीं। खराब ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग एक विशिष्ठ तकनीकी कार्य है, जिसे वर्तमान में निजी फर्मो से सेन्ट्रल रेट कान्ट्रेक्ट का निर्धारण खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था संतोषजनक है अतः इसमें परिर्वतन की आवश्यकता है।

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के दोषपूर्ण सुपर ट्रांसफार्मर

392. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कृषि कनेक्शनों के लिए कितने सुपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं?

(2) उक्त सुपर ट्रांसफार्मरों में से कितने सही काम कर रहे हैं व कितने सुपर ट्रान्सफार्मरों के मीटर जले हुए हैं?

(3) जले हुए मीटर वाले सुपर ट्रांसफार्मर वाले किसानों को बिलों का भुगतान किस प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अधीनस्थ दो उपखण्ड कार्यालय क्रमशः सहायक अभियन्ता (पवस) मुण्डवा व सहायक अभियनता (पवस) खींवसर स्थापित है। इनमें कृषि कनेक्शनों के लिए कुल 1244 सुपर ट्रांसफार्मर लगाये गये जिनका उपखण्डवार विवरण प्रपत्र ''अ'' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अधीन 443 सही मीटर वाले एवं 801 जले मीटर वाले सुपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जिनका उपखण्डवार विवरण प्रपत्र ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) जले हुए मीटर वाले सुपर ट्रांसफार्मर वाले किसानों को फ्लेट रेट के बराबर बिल का भुगतान करना पड़ता है।

प्रपत्र-अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के अधीनस्थ कृषि कनेक्शनों में लगाये गये सुपर ट्रांसफार्मरों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	लगाये गये सुपर ट्रांसफार्मरों की संख्या
1.	मुण्डावा	674
2.	खींवसर	570
	योग	**1244**

प्रपत्र-ब

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के अधीन मीटर सही एवं मीटर जले हुए सुपर ट्रांसफार्मरों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	मीटर जले हुए सुपर ट्रांसफार्मरों की संख्या	मीटर सही सुपर ट्रांसफार्मरों की संख्या	योग
1.	मुण्डावा	658	16	674
2.	खींवसर	143	427	570
	योग	**801**	**443**	**1244**

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन से लाभान्वित ग्राम

393. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री फतेह सिंह)

(1) क्या राजीव गांधी विद्युत मिशन योजनान्तर्गत कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सर्वे द्वारा ग्रामों का चयन किया गया है? यदि हां, तो कितने ग्रामों का ? सूची सदन की मेज रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ऊर्जा मिशन के तहत एक बत्ती कनेक्शन से कितने बी.पी.एल. परिवारों को लाभन्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है तथा कितने व्यक्तियों को अब तक लाभन्वित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देने हेतु सर्वे द्वारा 376 ग्रामों का चयन किया गया है । चयनित ग्रामों का विवरण प्रपत्र- ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 14895 बी.पी.एल. परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 60 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। लाभान्वित परिवारों की सूची प्रपत्र ''ब'' पर उपलब्ध है। कार्य प्रगति पर है एवं शेष बी.पी.एल. परिवारों को मार्च 2010 तक विद्युतिकृत करना प्रस्तावित है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के मृतकों के आश्रितों को देय लाभ

394. श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बूंदी जिले के केशोरायपाटन कस्बे में बन्द कर दी गई श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को पुन: प्रारम्भ करने अथवा इस शुगर मिल की जमीन पर कृषि आधारित अन्य कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बन्द शुगर मिल से आज भी आय हो रही है? यदि हां, तो किन माध्यमों से? उक्त मिल के बन्द होने से अब तक कुल कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मिल में कार्यरत रहे कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है तथा बहुत से कर्मचारियों का असामयिक निधन हो गया ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी कहां-कहां, प्रतिनियुक्त हैं एवं उक्त में से किन-किन की सामान्य व असामयिक मृत्यु हुई ?

(4) क्या सरकार उक्त शुगर मिल के कर्मचारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें उसी विभाग में मर्ज करने तथा जो कर्मचारी मर चुके हैं, उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं मरणोपरान्त देय आर्थिक लाभ शुगर मिल से हो रही आय में से भुगतान करने तथा सेवाकाल के दौरान मृतक के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के कृषि फार्म की भूमि को लीज पर देने, गोदाम किराये पर देने, मधुमक्खी के छत्तों, पेड़, घास चारे आदि की बिक्री से आय प्राप्त हुई है, मिल बन्द होने के पश्चात् वर्षवार आय का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	राशि (रुपयों मे)
1.	2001-02	2,23,266/-
2.	2002-03	1,29,270/-
3.	2003-04	5,68,702/-
4.	2004-05	12,81,660/-
5.	2005-06	16,24,511/-
6.	2006-07	16,73,749/-
7.	2007-08	19,23,471/-
8.	2008-09	--
	कुल	**80,24,629/-**

(3) जी हां। यह सही है मिल के 316 कर्मचारियों को अन्य विभागों एवं संस्थाओं में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है (विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।) जिनमें से 14 कर्मचारियों का सामान्य/असामयिक निधन हो गया है । (विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है)।

(सहकारिता मंत्री)

(4) शुगर मिल के कर्मचारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें उसी विभाग में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। शुगर मिल के 14 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है जिनकी ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश का मिल की आय से उपलब्ध राशि में से प्राथमिकता के आधार पर उत्तराधिकारी को भुगतान करने का निर्णय विचाराधीन है। मृतक कर्मचारियों के पेंशन का निर्धारण भविष्य निधि आयुक्त कोटा द्वारा किया जाता है। सहकारी विभाग के परिपत्र अनुसार संस्था में पद रिक्त नहीं होने एवं मिल बन्द होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कालाडेरा (जयपुर) में स्थापित फैक्ट्रियों के प्रदूषण का निराकरण

395. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा में संचालित कतिपय फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं जहरीली गैसों से प्रदूषण हो रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट एवं जहरीला पानी ग्राम पंचायत घिनोई क्षेत्र में जा रहा है और उससे उक्त क्षेत्र के पेयजल में प्रदूषण हो रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत क्षेत्र में आने वाले अपशिष्ट एवं जहरीले पानी की रोकथाम हेतु सरंपच, ग्राम पंचायत घिनोई ने जिला कलक्टर, जयपुर, उपखण्ड अधिकारी चौमूं व विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ को प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ एवं जहरीला पानी अब ग्राम पंचायत घिनोई क्षेत्र में नहीं आवे इसकी रोकथाम हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त अपशिष्ट की रोकथाम कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, जिला जयपुर में वर्तमान में लगभग 53 इकाइयां कार्यरत हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सतत प्रयासों से लगभग सभी उद्योगों ने जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था कर रखी है । तथापि इन व्यवस्थाओं के संधारण व संचालय की कमियों के कारण इन उद्योगों से जल एवं वायु प्रदूषण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । मंडल द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा में वायु परिवेशीय गुणवत्ता की चार स्थानों पर जांच की गयी । जांच रिपोर्ट में वायु में उपस्थिति विभिन्न प्रदूषक तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा में पाये गये।

औद्योगिक क्षेत्र में जनित गन्दे जल के निकास एवं निष्पान की उचित व्यवस्था का दायित्व रीको लिमिटेड का है। रीको लिमिटेड द्वारा कालेडरा ओद्योगिक क्षेत्र के घरेलू उच्छिष्ट, औद्योगिक उच्छिष्ट, एवं वर्षा जल के निकास एवं निष्पादन की वर्तमान व्यवस्था प्राकृति नाले में की गई है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नाले में प्रवाहित उच्छिष्ठ की गुणवत्ता की जांच करने पर दो प्रदूषकों यथा- टोटल सस्पेण्डेड सॉलिड एवं बीओडी की मात्रा क्रमाश: 136 मि.ग्रा./लीटर एवं 42 मि.ग्रा/लीटर पाई गई जो कि इन प्रदूषणों के निर्धारित मानकों क्रमश: 100 मि.ग्रा./लीटर एवं 30 मि./ग्रा./लीटर से कुछ अधिक है। इन दो प्रदूषक तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदूषक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। उपरोक्त प्रदूषण के लिए सुधारात्मक कार्यवाही हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा रीको को पाबंद किया गया है । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इकाइयों के प्रस्करण से उत्पन्न उच्छिष्ट को प्राकृतिक नाले में प्रवाहित होने से रोकने हेतु निम्न उपाय किये गये :-

जल प्रदूषण इकाइयों को उनके प्रसंस्करण से उत्पन्न उच्छिष्ट को पुन: चक्रित कर वापिस उपभेगित करने हेतु बाध्य किया जा रहा है । अनुपालाना नहीं किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। 11 मुख्य जल प्रदूषक इकाइयों को शून्य निस्त्राव की स्थिति बनाये रखने हेतु जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये।

(2) जी हां । उक्त फैक्ट्रीयों से निकलने वाला अपशिष्ट ग्राम घिनाई में जा रहा है परन्तु ग्राम घिनोई के विभागीय नलकुप इस स्थान से लगभग 1.5 किलो मीटर दूरी पर है। इन नलकूपों से ग्राम घिनोई में वर्तमान में मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

(3) सरपंच ग्राम पंचायत घिनोई द्वारा विकास अधिकारी गोविन्दगढ़ कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि ग्राम पंचायत घिनोई के रास्ते में यह अपशिष्ट पानी बहता है जिससे आवागमन में लोगों को बाधा उत्पन्न होती है, अतः रास्ते पर नाला बनवाया जावे । उक्त सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्मित है लेकिन पानी सड़क के उपर से बहता है।

सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया है कि उक्त रास्ते पर पाइप डालकर सी.सी. सड़क स्वीकृत हो चुकी है। शीघ्र ही कार्य पूर्ण होकर आवागमन सुचारू रूप से हो जायेगा।

(4) नाले में वाहित उच्छित निर्धारित मानक स्तर के अनुसार हो इसके लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सम्बन्धत इकाइयों तथा औद्योगिक क्षेत्र से बाहर प्रवाहित होते समय नाले का पानी निर्धारित मानक के अनुसार हो इस बाबत रीको लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देशित किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

(5) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को एक माह की अवधि में मानक स्तर का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

Government of Rajasthan
Department of Environment

No. F. Assembly 3 (25) Env/Dir/09 Jaipur, dated 10th Aug., 2009

To,

The Member Secretary
Rajasthan State Pollution Control Board
Jaipur

Sub : Disposal of effluent from industries in Kala Dera Industrial Area.

Ref : Assembly Question No. 3541 by Smt. Kiran Maheshwari.

Sir,

With reference to above mentioned Assembly Question on the subject cited above the undersingned is directed to say that the State Board must take immediate action against the defaulter industries discharging effluent in the water bodies and Rajasthan Industrial Investment Corporation (RIICO) for ensuring that the water flowing out form the final outlet from the industrial area does not violate the prescribed standards. Action must be completed within a month.

Thanking You.

Youres sincerely
(P K Upadhyay,
Dy Secretary to Govt.

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

396. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द):- क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कितने-कितने, कहां-कहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा कौन-कौन, किस-किस संवर्ग का स्टाफ पदस्थापित है व कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बने हुये है?

(2) अब सरकार भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कब तक भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बाल विकास परियोजना आसीन्द के 194 एवं हुरडा के 111 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में 305 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से आसीन्द परियोजना में 111 एवं हुरडा परियोजना में 64 अर्थात कुल 175 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विभागीय भवन बने हुये हैं।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के कार्य हेतु एक-एक महिला नियत मनोदय आधार पर रखी जाती है।

संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विभागीय भवनों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कार्य के लिये चरणबद्ध रूप से, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, भवन निर्माण के लिये प्रयासरत है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

397. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र व उपकेन्द्र कहां-कहां, कब से संचालित हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्रों में आज भी स्वीकृत पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां, कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम डूडी)

(3) क्या यह सही है कि अनेक केन्द्र, उपकेन्द्रों में स्वयं के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने तथा भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के क्षेत्राधिकार में परियोजना डीडवाना शहरी में 26 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना डीडवाना ग्रामीण में 211 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 06 उपकेन्द्र संचालित हैं इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में कुल 237 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 06 उपकेन्द्र संचालित हैं। केन्द्रों की सूची मय संचालन वर्ष परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में परियोजना डीडवाना शहरी में सहयोगिनी के 09 पद रिक्त हैं तथा डीडवाना ग्रामीण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 05, सहायिका के 05 व सहयोगिनी के 44 पद रिक्त हैं। केन्द्रवार व श्रेणीवार सूची परिशिष्ब-2 संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित 327 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 06 उपकेन्द्रों में से 42 विभागीय भवन, 04 अन्य सरकारी भवन तथा 197 किराये के भवनों में चल रहे हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर ही संलग्न है।

(4) मानदेय के विभिन्न रिक्त होने वाले पदों को आगामी ग्राम सभाओं में पात्रताधारी चयनित अभियार्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार स्वयं के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के कार्य के लिए चरणबद्ध रूप से, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, भवन निर्माण के लिए प्रयासरत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत इंदिरा आवास

398. **श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नागौर में किन-किन पंचायतों में कितने-कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत किए गए व उक्त में से कितने पूर्ण हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नागौर की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत इन्दिरा आवासों व इनमें से पूर्ण हुए आवासों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नागौर में स्वीकृत किये गये एवं इनमें से पूर्ण हो गए आवासों का ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		योग	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	अलाय	9	8	0	0	9	8
2	अमरपुरा	0	0	3	3	3	3
3	बालवा	7	7	32	31	39	38
4	बरणगांव	0	0	2	2	2	2
5	बाड़ाणी	0	0	0	0	0	0
6	बासनी	67	67	65	50	132	117
7	भाकरोद	9	9	10	10	19	19
8	छीला	1	1	6	6	7	7
9	चैनार	3	3	1	1	4	4
10	चूंटीसरा	0	0	0	0	0	0
11	दूकोसी	9	9	0	0	9	9
12	गगवाना	1	1	1	1	2	2
13	गोगेलाव	1	1	1	1	2	2
14	कालडी	5	5	15	15	20	20
15	खारी कर्मसोता	4	4	8	8	12	12
16	कुम्हारी	6	6	3	3	9	9

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		योग	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
17	मकौड़ी	0	0	0	0	0	0
18	रायधनूं	11	11	13	13	24	24
19	रोहिणी	0	0	0	0	0	0
20	सथेरण	10	10	0	0	10	10
21	सेवड़ी	0	0	0	0	0	0
22	श्री बालाजी	49	49	0	0	49	49
23	सिंगड़	13	12	22	22	35	34
24	सिणोद	5	5	4	4	9	9
25	टांकला	2	2	2	2	4	4
26	ताऊसर	5	5	1	1	6	6
27	इनाणा	0	0	4	0	4	0
28	गोठड़ा	0	0	12	0	12	0
29	झूझण्डा	0	0	5	0	5	0
30	फिड़ोद	0	0	11	0	11	0
31	थिरोद	0	0	11	0	11	0
	योग	217	215	232	173	449	388

राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ

399. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयी शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत यू.जी.सी. वेतनमान लागू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी नहीं। दिनांक 8.7.2009 को मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2009-10 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को रिवाइज्ड पे-स्केल के सम्बन्ध में चढ्ढा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आगामी दो महीने में समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर रिवाइज्ड पे-स्केल्स लागू की जायेगी।

राजकीय महाविद्यालय, कोटा में संगीत विषय का संचालन

400. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय कोटा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में संगीत विषय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार संगीत विषय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राजकीय महाविद्यालय, कोटा में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत छात्रों को एम.फिल. कराया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त में कितना शुल्क लिया जाता है?

(3) क्या सरकार अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस विषय में एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जे.डी.बी. राजकीय महिला महाविद्यालय, कोटा में संगीत विषय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुये वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, कोटा में नवीन संगीत विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, कोटा में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित एम.फिल. पाठ्यक्रम/विषयों में प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क निम्नानुसार लिया जा रहा है:-

1. भूगोल	12000 रुपये
2. भौतिकशास्त्र	12000 रूपये
3. प्राणीशास्त्र	12000 रूपये

(उच्च शिक्षा मंत्री)

4. इतिहास	9000 रुपये
5. राजनीतिशास्त्र	9000 रुपये
6. उर्दू	9000 रुपये
7. हिन्दी साहित्य	9000 रुपये
8. समाजशास्त्र	9000 रुपये
9. अंग्रेजी साहित्य	9000 रुपये
10. लोक प्रशासन	9000 रुपये

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को मध्य नजर रखते हुये वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, कोटा में नवीन स्नातकोत्तर विषय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

यदि महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत राजकीय महविद्यालय, कोटा में स्नातकोत्तर स्तर पर विषय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

आयुर्वेद औषधालय बाटडानाऊ (सीकर) में आयुर्वेदिक कर्मियों का पदस्थापन

401. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की ग्राम पंचायत बाटडानाऊ के औषधालय में एक भी चिकित्साकर्मी पदस्थापित नहीं है एवं औषधालय बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त औषधालय को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त आयुर्वेदिक औषधालय बाटडानाऊ में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कौनसा पद कब से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी सीकर द्वारा उक्त औषधालय का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय बाटडानाऊ जिला सीकर में वर्तमान में चिकित्सक व नर्स/कम्पाउण्डर पद पर कार्मिक पदस्थापित नहीं है, किन्तु

(आयुर्वेद मंत्री)

औषधालय बन्द नहीं है। औषधालय में कम्पाउण्डर श्री महावीर प्रसाद व परिचारक श्री सुल्तानसिंह व्यवस्थार्थ लगाये हुये हैं।

(2) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बाटडानाऊ में आयुर्वेद चिकित्सक तथा नर्स/कम्पाउण्डर का एक-एक पद स्वीकृत है। आयुर्वेद चिकित्सक का पद 5-6-2009 से तथा नर्स/कम्पाउण्डर का पद दिनांक 3-2-2007 से रिक्त है।

(3) उक्त औषधालय का निरीक्षण जिला आयुर्वेद अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 15-1-2007 को किया गया है।

मकराना विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण सड़कें

402. श्री जाकीर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना में कृषि उपज मण्डी कुचामन सिटी के मार्फत कितनी-कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी कृषि सड़कें, कहां से कहां तक के लिये, कितनी राशि की स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश सड़कों का कार्य आज भी अपूर्ण है तथा अब तक कराये गये कार्य भी गुणवत्ता पूर्ण नहीं हैं?

(3) क्या सरकार गुणवत्ता बनाये रखते हुये उक्त सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना में कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी के मार्फत मिसिंग लिंक परियोजना के अन्तर्गत तीन सड़कें स्वीकृत की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त तीनों सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं तथा तीनों सड़कों का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण हुआ है।

(3) तीनों स्वीकृत सड़कें गुणवत्ता बनाये रखते हुए पूर्ण हो चुकी हैं।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र मकराना में निर्मित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति का विवरण			निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	लाख (लाख में)	कार्य पूर्ण होने की दिनांक
		क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)			
1.	मिसिंग लिंक थेपड़ी से चिंडालिया	कृषि ग्रुप-2 क्रमांक प.7(7)/2003 दिनांक 25.09.2007	46.00	3.30	3.30	42.21	28.08.2008
2.	मिसिंग लिंक हरनावा-तोसीना से काचोलिया	कृषि ग्रुप-2 क्रमांक प.7(7)/2003 दिनांक 20.06.2008	60.00	3.00	3.20	59.48	16.01.2009
3.	मिसिंग लिंक बोरावड़ से कोला डूंगरी	कृषि ग्रुप-2 क्रमांक प.7(7)/2003 दिनांक 20.06.2008	44.00	2.00	2.00	44.00	16.01.2009

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण सड़कें

403. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी कृषि सड़कें कहां से कहां तक के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की गई? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश सड़कों का कार्य आज भी अपूर्ण है तथा अब तक कराया गया कार्य भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है?

(3) क्या सरकार गुणवत्ता बनाये रखते हुए उक्त सड़कों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में गत 5 वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत एक भी नवीन कृषि सड़क की स्वीकृति नहीं हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत एक भी नवीन कृषि सड़क स्वीकृत नहीं हुई है।

(3) कोई स्वीकृत नहीं हुई है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

404. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कृषि मण्डी, सुमेरपुर के अधीनस्थ कुल कितने किलोमीटर की कितनी सड़कें हैं तथा उक्त सड़कें कब-कब बनाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी की निर्मित सड़कों की स्थिति दयनीय है तथा लोगों का कृषि मण्डी की सड़कों से गुजरना दुविधापूर्ण है?

(3) क्या सरकार की उक्त सड़कों की मरम्मत कराने की योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर द्वारा सिरोही विधान सभा में 9

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया गया। जिसकी लम्बाई 34.80 कि.मी. है। निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें से 2 सड़कें सम्पर्क सड़क सरतरा 3.385 कि.मी. एवं सम्पर्क सड़क केशरपुरा से बेडा सिरोही विधान सभा क्षेत्र की विशेष मरम्मत कार्य वर्ष 2008-09 में करवाया गया। वर्ष 2009-10 में सड़कों की वार्षिक मरम्मत के तहत पेचवर्क का कार्य करवाया जाना है।

(3) सड़क मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार करवाया जाता है। मण्डी समिति सुमेरपुर ने सिरोही विधान सभा क्षेत्र की 6 सड़कों की लम्बाई 17.15 किमी वार्षिक मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सम्पर्क सड़कों की सूची

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी. में	व्यय राशि	निर्मित वर्ष
1	स.स. उथमण से चूली	2.80	35.35	2002-03
2	स.स. चूली से राडबर	1.70	15.09	2002-03
3	स.स. नरादरा से सवली	2.00	12.73	2002-03
4	स.स. पालड़ी एम सेबारबेड़ा	3.25	17.68	2002-03
5	स.स. फुगनी से फुगनी हनुमानजी	1.50	10.32	2002-03
6	स.स. मण्डिया से हालीवाडा	5.90	30.56	2002-03
7	स.स. मनादर से रोवाडा	8.47	156.05	2002-03
8	स.स. केशरपुरा से बेडा	5.80	71.25	2002-03
9	स.स. सरतरा	3.38	14.95	2000-01
	योग	**34.80**	**363.98**	

परिशिष्ट 'ब'

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की प्रस्तावित वर्ष 2009-10 में वार्षिक मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई	निर्मित वर्ष
1	स.स. उथमण से चूली	2.80	2002-03
2	स.स. चूली से राडबर	1.70	2002-03
3	स.स. नरादरा से सवली	2.00	2002-03
4	स.स. पालड़ी एम बारबेड़ा	3.25	2002-03
5	स.स. फुगनी से फुगनी हनुमानजी	1.50	2002-03
6	स.स. मण्डिया से हालीवाडा	5.90	2002-03
	योग	17.15	

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें

405. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी खैरथल, अलवर में विगत तीन वर्षों में कुल कितनी आय हुई तथा आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन मण्डी कोष से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) में विगत तीन वर्षो में कितनी नई सड़कों का निर्माण हुआ? उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषि विपणन मण्डी द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास क्षेत्र के लिये नई सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल की विगत 3 वर्षों की आय एवं व्यय वार मद का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड के मण्डी विकास कोष से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में विगत तीन वर्षो में किसी भी नई सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में नई सड़कों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2008-09 में ग्राम पहाज से खोहावास नई सड़क का प्रस्ताव दिनांक 2.8.2008 को अनुमानित लागत 17.90 लाख रुपये का मण्डी द्वारा निदेशालय में प्रेषित किया गया था। वर्ष 2009-10 में मण्डी समिति खैरथल से नई सड़क के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट 'अ'

मण्डी समिति खैरथल की विगत तीन वर्षों की कुल आय एवं मदवार व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	आय	व्यय								
			संस्थापन व्यय	बोर्ड अंशदान	परियोजना निर्माण	गैर परियोजना निर्माण	सम्पर्क सड़ाकों पर व्यय	मण्डी सुविधाओं	ऋण का पुनर्भरण	अन्य व्यय	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2006-07	453.0014	54.665	-	211.656	23.00	00.030	119.837	-	44.297	453.755
2.	2007-08	330.46	76.96	40.79	-	5.59	40.76	41.39	44.73	43.45	293.67
3.	2008-09	498.1677	90.2668	-	-	49.7232	-	44.3318	81.60455	142.55	408.47635

परिशिष्ट 'ब'

कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास अलवर के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण हेतु लिये गये प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	नई सड़क का नाम	लिये गये प्रस्ताव संख्या मय दिनांक	सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	वि.वि.
1	ग्राम पहाडा से खोहाबास	1/28.5.08	1.00	
2	खानपुर मेवान से खोहरा	2/28.6/08	2.50	
3	इस्माईलपुर रोड से लालपहाडी	2/28.6/08	2.00	
4	टोहरी से अलमदीका	2/28.6/08	1.50	
5	करवड से राई खेडा	2/28.6/08	3.00	
6	बासकृपालनगर से गंज	2/28.6/08	1.25	
7	मस्तानी कुई से कल्लू कानका बास तक (ग्राम खानपुर मेवान)	17/28.6.08	-	

हीमोफिलिया/सीमोफिलिया मरीजों को नि:शुल्क दवा

406. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर शहर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में हीमोफिलिया के कितने मरीज विभिन्न जिलों में पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार थैलोसनिया की तरह अस्पतालों में अलग से हीमोफिलिया का प्रकोष्ठ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य में इस बीमारी के इंजेक्शन फैक्टर VIII, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं दिल्ली की तरह मेडिकल कालेजों में नि:शुल्क देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त बीमारी में एक बार में लगभग कितना व्यय आता है?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य में अभी तक हीमोफिलिया के लगभग 140 मरीज पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण इस प्रकार है:-

1. अजमेर-05 2. बाड़मेर-03

3. भरतपुर-02 4. बीकानेर-80

5. जयपुर-25 6. जोधपुर-24

7. कोटा-01

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचारधीन नहीं है। सम्बन्धत चिकित्सालय में आने वाले हीमोफिलिया से पीड़ित रोगी को समुचित जांच एवं उपचार सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह इन्जेक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(4) सामान्यतया रोगी को लगाये जाने वाले फैक्टर VIII इन्जेक्शन की कीमत को ध्यान में रखते हुए तथा इस इन्जेक्शन की उपलब्धता कठिन होने के कारण रोगी को प्लाजमा चढ़ाकर उसका उपचार किया जाता है। उपचार हेतु लगाये जाने वाले एक वायल की कीमत अनुमानित रूप से 2500 से 3500 रुपये तक होती है तथा रोगी को आवश्यकतानुसार एक से दस वायल लगाये जाते हैं जिसके अनुसार प्रतिवर्ष प्रति रोगी औसतन रुपये 30000 से 35000 तक का व्यय होता है। यह व्यय बीमारी की गम्भीरता की स्थिति पर निर्भर करता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-407

(स्थगित)

नरेगा योजना की दोषपूर्ण मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

408. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नरेगा योजना अन्तर्गत जब से बैंक/पोस्ट आफिस से मजदूरों का भुगतान किया जा रहा है, बैंक/पोस्ट आफिस में स्टाफ की कमी की वजह से 2-3 माह में मजदूरी का भुगतान हो रहा है जबकि 15 दिवस में श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिये? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में उचित कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 में यह प्रावधान किया गया है कि नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात जिसको ऐसा कार्य किया गया था, 15 दिन के अन्दर किया जाएगा।

तदनुसार 15 दिवस में भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु भुगतान के समय पर नहीं हो पाने के कई कारण रहे हैं।

पूर्व में भुगतान नगद में भी किया जाता था, परन्तु अब अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन कर यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस खातों के माध्यम से ही किया जावे।

वर्तमान में पोस्ट आफिस पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। विज्ञ स्टाफ की भी कमी है। जो भुगतान के विलम्ब का एक कारण है।

इसी प्रकार कार्यों की मात्रा में तकनीकी स्टाफ का न होना भी एक कारण रहा है। जिससे अधिक कार्यों के चलते समय पर मूल्यांकन कराया जाकर भुगतान में विलम्ब होता है।

उक्त समस्याओं के निदान हेतु हमने कई कदम उठाए हैं :-

तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त तकनीकी स्टॉफ के पद सृजित किये जा रहे हैं। अब प्रत्येक 5 पंचायतों पर 1 कनिष्ठ तकनीकी सहायक लगाया जा रहा है। इसी प्रकार मरूस्थलीय क्षेत्रों में तो 3 पंचायतों पर ही 1 कनिष्ठ तकनीकी सहायक उपलब्ध हो जावेगा। इस प्रकार कार्यों का समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा।

पोस्ट आफिस के स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत स्टाफ को उन्हें सहयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही भुगतान के लिए आवश्यकता पड़ने पर वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। पोस्ट मास्टर जनरल के साथ वार्ताएं कर उनके माध्यम से भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी इन कठिनाइयों से अवगत कराया गया है। उनके स्तर पर भी सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

पोस्ट आफिस की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी संस्थाओं के अधीन स्थापित मिनी बैंकों को भी इस प्रयोजन हेतु जोड़ा जा रहा

(ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी योजना मंत्री)

है। वर्तमान में 2700 मिनी बैंक की शाखाएं कार्यशील हैं। इनकी संख्या में वृद्धि कराई जाकर 2500 नई मिनी बैंक शाखाएं इसी वर्ष चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि भुगतान में यह नई बैंकें भी सहयोगी बन सकें।

15 दिवस में भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत निर्देश 30 अप्रैल, 2009 को जारी कर दिये गये हैं। समय पर मजदूरों को उनका पारिश्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

महिला पॉलिटेक्निक कालेज शिक्षकों के लिये ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेन्ट (CAS) लागू करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विष्यान्तर्गत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करती हूं कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत इन्जिनियरिंग एवं नान इन्जिनियरिंग क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें पूरे राज्य में महिला पालिटेक्निक कालेज में नान इन्जिनियरिंग पाठ्क्रयम जैसे टैक्सटाइल डिजाइन, कामर्शियल आर्ट, मेकिंग ब्यूटी, ऑफिस मैनेजमेन्ट आदि डिप्लोमा प्रदान किये जाते हैं। कई राज्यों में नॉन इन्जिनियरिंग ब्रांच के महाविद्यालय में इन्जिनियरिंग विषयों का अध्ययन एवं इन्जिनियरिंग ब्रांच के महाविद्यालयों में नान इन्जिनियरिंग विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है तथा सभी पालिटेक्निक शिक्षकों (महिला पालिटेक्निक शिक्षकों सहित) एक साथ छठे वेतनमान के लाभ एवं कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ बिना किसी भेदभव के प्रदान किया जाता है। ए.आई.सी.टी.ई. के वेतनमान के क्रम में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये हैं:-

1. वर्ल्ड बैंक तकनीकी शिक्षा योजना 1991 से 1998 तक क्रियान्वित किया गया।

2. राजस्थान की Performance को Access करने के लिए विश्व बैंक योजना में राजस्थान का चार बार दौरा किया तथा राज्य सरकार ने चार बार राजकीय महिला पालिटेक्निक जयपुर को Performance में Model के समय आगे करते हुये विश्व बैंक योजना की विजिट करवायी।

3. महिला पालिटेक्निक की Performance से प्रभावित होकर ही राज्य सरकार ने पालिटेक्निक शिक्षकों के साथ अन्य पालिटेक्निक शिक्षकों के लिये A.I.C.T.E. द्वारा अभिशेषित 4^{th} एवं 5^{th} वेतनमान लागू करने का निर्णय लिया लेकिन अलग से शैक्षणिक योग्यतायें अभिशंषित नहीं की गई लेकिन भविष्य में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शैक्षणिक पदों के लिये परिषद द्वारा 1996 में शैक्षणिक योग्यतायें अभिशंषित की गयीं।

महिला पालिटेक्निक शिक्षको की न्यूनतम योग्यता भी इक्जिनियरिंग ब्रांच से कम नहीं है महिला पालिटेक्निक में प्रवक्ता पद के लिये 12वीं के बाद दो वर्ष का व्यवहारिक योग्यता है जबकि इन्जीनियरिंग ब्रांच वाले 12वीं के बाद सिर्फ चार वर्ष का इन्जिनियरिंग कोर्स करते है इस प्रकार महिला पालिटेक्निक शिक्षक भी योग्यता में इनसे कम नहीं है। तथा सभी शिक्षको से विभागीय पदोन्नति का लाभ समान रूप से दिया जाता है।

अतः महिला पालिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवा नियम नहीं बने तो उन्हें शीघ्र बनवाकर सभी पालिटेक्निक शिक्षकों के लिये वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने की मांग करती हूं जिससे की महिला पालिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ में असमानता नहीं हो।

किरण माहेश्वरी

(राजसमन्द)

अजमेर के जनाना अस्पताल की बेहतर हालात के सम्बन्ध में

महोदयजी,

अजमेर के राजकीय अस्पताल की स्थिति दयनीय है जो वहां के प्रशासन व स्टाफ की लापरवाही के कारण दिनों-दिन बदतर होती जा रही है, जिससे मरीजों के हाल बेहाल हैं और वे इलाज के लिए भटकते फिर रहे हैं।

अस्पताल का पूरा परिसर गन्दगी से भरा पड़ा है बोर्ड में सफाई नहीं होती, शौचालय इतने खराब हैं कि वहां महिलाओं में इन्फैक्शन का सदैव खतरा बना रहता है।

अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है विशेषकर नर्सिंग स्टाफ की एक एक वार्ड में एक-एक नर्स के भरोसे 30 से 40 मरीज रहते हैं, जिससे उनकी संभाल नहीं होती। यहां तक कि प्रसूति के समय व बाद में ड्रेसिंग तक का कार्य परिजनों को करना पड़ता है।

व्यवस्था का यह हाल है कि जो दवाइयां डाक्टर लिखते हैं वे दवाइयां अपना बाजार व मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा संचालित दुकानों में उपलब्ध नहीं होती। इस परिस्थिति में मरीजों के परिजनों को दुकानदारों के एजेन्ट जो वहां घूमते रहते हैं उनके चक्कर में दुकानदारों से फर्जी कम्पनियों की मंहगी दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अस्पताल के अन्दर व बाहर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। असामाजिक तत्व कभी भी व कहीं भी घुसकर किसी भी घटना को अंजाम देते रहते हैं।

अतः सरकार से निवेदन है कि इस अस्पताल की जो पूरे शहर ही नहीं बल्कि जिले की महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं के लिए बनाया गया है व्यवस्था में तुरन्त सुधार करें। स्टाफ की कमी को दूर करें व सफाई आदि की व्यवस्था ठीक करवायें। स्थानीय प्रशासन को सचेत करें व मरीजों को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

BCA एवं B.B.A अन्तिम वर्ष (राजस्थान विश्वविद्यालय) के परिणाम शीघ्र घोषित करने बाबत

महोदय,

मैं आपका ध्यान राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत संचालित सभी महाविद्यालयों में चलाये जाने वाले बीसीए एवं बीबीए कोर्सेज की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर राजस्थान प्रान्त में काफी संख्या की तादाद में विद्यार्थी बीसीए एवं बीबीए के अन्तिम वर्ष में बैठे थे जिनके अन्तिम पेपर माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरे हुए थे। चूंकि राजस्थान प्रान्त के बाहर अन्य विश्वविद्यालयों में एमसीए के कोर्सेज माह जुलाई के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह में प्रारम्भ हो जाते हैं जिसकी वजह से राजस्थान प्रान्त के विद्यार्थी अग्रेतर अध्ययन वहां नहीं कर पाते हैं। मान्यवर यही नहीं राजस्थान प्रान्त के अन्तिम वर्ष के विध्यार्थीगण अग्रिम रूप से प्रान्त में व अन्य प्रान्तों के विश्वविद्यालयों में पूर्व में ही सीटें बुक यह सोचकर करवा लेते हैं कि जुलाई तक राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तिम वर्ष के परिणाम माह जुलाई तक आ जाएंगे जिससे उन्हें प्रान्त से बाहर एमसीए करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि अन्तिम पेपर ही जुलाई माह में हो पाये हैं तो उनका परीक्षा परिणाम तो माह सितम्बर अथवा अक्टूबर माह में आएगा तो वे विद्यार्थी उन बुक की गई सीटों में नहीं जा सकते जिससे उनके द्वारा अग्रिम सीट बुक करवाने के रुपये भी डूब जाते हैं तथा वे एमसीए में प्रवेश लेने से भी वंचित रह जाते हैं।

मान्यवर इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एमसीए के एंट्रेस परीक्षा भी जून के अन्तिम दिनों में ली गई जिसका परिणाम भी अगस्त सितम्बर में आने से अग्रेतर अध्ययन में काफी विलम्ब हो जाता है जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में माह नवम्बर दिसम्बर में एक सेमेस्टर पूर्ण हो जाता है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बीसीए एवं बीबीए के अन्तिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को शीघ्रतिशीघ्र घोषित करवाने अन्यथा उन्हें काफी धन, मन एवं अग्रेत्तर अध्ययन का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ब्रजेन्द्र सिंह ओला

(झुन्झुनूं)

खनिज विभाग के ठेकेदारों द्वारा बजरी रायल्टी में की जा रही मनमानी वसूली बाबत

महोदय,

प्रदेश में खनिज विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों एवं में जिलों में बजरी (रेती) खनन के ठेकेदारों को मात्र 13.00 (तेरह रुपये) प्रति टन का राशि वसूल करने का अधिकार है1 अधिक राशि वसूली पर दण्डित किये जाने तथा ठेका निरस्त करने का प्रावधान होते हुये भी 5 गुना तक अधिक राशि वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है पुलिस के प्रभाव को काम में लेकर प्रभावशाली ठेकेदार अवैध वसूली का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करवाते हैं। नाजायज वसूली के अनेक उदाहरण होते हुये भी पुलिस प्रशासन तथा खनिज विभाग ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत समस्या से सम्बन्धत जनहित का प्रकरण होने से इस बाबत अविलम्ब ही खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये इजाजत प्रदान करने की कृपा करें।

महेन्द्र चौधरी

(नावां)

मनोहरथाना में जावर एवं कालीखाड़ पेयजल योजना में कुछ गांवों को शामिल करने बाबत

विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जावर एवं कालीखाड़ पेयजल योजनाऐं सन् 2007-2008 से निर्माणाधीन है उक्त परियोजनाओं में 77 गांवों को पेयजल के लिये शामिल किया गया है।

बांसखेड़ा, छान, गोडिया, बांसखेड़ी, पूनिया खेड़ी, राजपुरा, हणोतिया, खेड़ी, आपू खेड़ी, बामण गांव टापरिया, कूंजरा, कूंजरी इन गांवों में अधिकांश

आबादी अल्प संख्यक वर्गों की है। इन गांवों को उक्त दोनों परियोजनाओं में शामिल नहीं किया गया है जबकि उक्त सभी गांव इन सभी गांवों के मध्य हैं। इसी तरह से छापी पेयजल परियोजना में गांव माल्या, टोंटा, गुड्डा, बरेडीगोपुरा, खासखेरकी, डूंगरी को पेयजल योजना से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वंचित रखा गया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उक्त वंचित रहे ग्रामों को उक्त पेयजल योजनाओं में शामिल करने का कष्ट करें, ताकि उक्त ग्रामों के साथ न्याय हो सके।

कैलाश मीणा

(मनोहरथाना)

जिला स्तरीय बाजार दर निर्धारण (डी.एल.सी.) समिति की बैठक में उप पंजीयन बीकानेर व उप महानिरीक्षक बीकानेर के द्वारा गलत सूचना देकर भूमि दर का निर्धारण करने के सम्बन्ध में

महोदय,

महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तरीय बाजार दर निर्धारण (डी.एल.सी.) समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2009 को जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक होने से पहले जो जन प्रतिनिधि वहां जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक में उपस्थित हुए, उन्हें उप पंजीयक बीकानेर के द्वारा हस्ताक्षरित पूर्व निर्धारित दर व प्रस्तावित दर की सूची उपलब्ध कराई गई।

उक्त सूची में विशेष रूप से बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों को जोनों में बांटकर पूर्व निर्धारित व प्रस्तावित दर दर्शायी गयी थी तथा सभी जोनों की पूर्व निर्धारित दर को पहले से ही बढ़ाकर लिख दिया गया, जबकि वास्तव में पूर्व निर्धारित दर में काफी अन्तर है। इस तथ्य की सत्यता उन्हीं के द्वारा प्रचलित दर सूची से की जा सकती है।

इस तरह गलत जानकारी देकर पूर्व में बढ़त कर लिखी गयी दर पर लगभग 40 प्रतिशत से 400 प्रतिशत की बाजार दर में वृद्धि कर दी गयी और उक्त वृद्धि को दिनांक 6 जुलाई, 2009 से ही लागू कर दिया गया तथा बैठक की जो मिनिट्स तैयार की गयी, उसमें भी गलत अंकन किया है कि सभी ने दिनांक 6 जुलाई, 2009 से दर वृद्धि प्रस्तावों को लागू करने की सहमति दी।

अन्त में, मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो अनियमितता बरती गयी है, उसे मंत्रीजी जांच करवाकर जनता को राहत पहुंवायेंगे।

धन्यवाद

डा. गोपाल जोशी
(बीकानेर पश्चिम)

नागदी बांध की नहरों का निर्माण एवं नागदी नदी का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण हेतु

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियमावली महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहाजपुर के पास नागदी नदी पर काफी वर्षों पहले सिंचाई के उद्देश्य से बांध बनाया गया था। इस बांध की भराव क्षमता 180 मिलियन क्यूबिक फीट है जिससे 1692 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। किन्तु बांध के निर्माण के साथ ही पक्की नहरों का निर्माण नहीं करवाया गया था जिससे सिंचाई के समय पानी का अपव्यय होता है तथा टेल पर स्थित कमाण्ड एरिया के खेतों में भी पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पक्की नहरों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के कस्बा जहाजपुर से निकलने वाली उक्त नागदी नदी पौराणिक एवं धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण नदी है किन्तु पिछले कुछ वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण जगह-जगह कंटीली झाड़ियां एवं गन्दगी हो गई है। जिससे कस्बे के पर्यावरणीय सन्तुलन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसकी साफ-सफाई एवं सौन्दर्यकरण करने हेतु पूर्ववर्ती सरकार के समय योजना तैयार करवाई गई थी किन्तु समुचित बजट प्रावधान नहीं होने से नागदी नदी पर कोई कार्य नहीं करवाया जा सका है।

अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र की नागदी बांध की नहरों को पक्की कराने एवं नागदी नदी के जीर्णोद्धार की स्वीकृति शीघ्र कराने की व्यवस्था करें।

शिवजीराम मीणा
(जहाजपुर)

किशनगढ़बास (अलवर) के खैरथल कस्बे (मण्डी) को जिला मुख्यालय अलवर को सीधा सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना में सम्मिलित जिला अलवर के नगर पालिका क्षेत्र खैरथल की आबादी लगभग 1 लाख है। यहां केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालय स्थित हैं रीको का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तिलहन की प्रमुख व्यापारिक मण्डी स्थित है। खैरथल कस्बा अलवर मुख्यालय से सीधा सड़क मार्ग जुड़ा हुआ नहीं है खैरथल से जिला मुख्यालय अलवर सड़क मार्ग 45 कि.मी. दूर है जो वाया ततारपुर चौराया व वाया किशनगढ़बास होकर जाता है जबकि रेलमार्ग की दूरी खैरथल से अलवर मात्र 27 कि.मी. है। लम्बे समय से जनता जिला मुख्यालय से जुड़ने की मांग उठाती रही है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं आई है।

महोदय अगर खैरथल कस्बा को सीधा रेलवे लाइन के साथ-साथ सड़क मार्ग से जोड़ा जाये तो महज 27 कि.मी. की दूरी बनती है। खैरथल से रेलवे लाइन के सहारे-सहारे।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़बास)

अढ़ावली ग्राम की सिवाय चक भूमि पर बलदेववास गांव के लोगों द्वारा कब्जा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गांव अढ़ावली तहसील डीग की आरजी खसरा न. 40 गैर मुमकिन सिवाय चक पहाड़ के नाम दर्ज है यह आराजी गांव अढ़ावली व बल्दे वास की सीमा पर स्थित है ग्राम अढ़ावली में गुर्जर समुदाय के लोग रहतें हैं तथा गांव बल्देववास में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बल्देववास गांव से छोड़कर गांव अढ़ावली की सीमा पर स्थित गैर मुमकिन सिवाय चक पहाड़ की भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपना मकान व बाड़ा बनाकर रहने लग गये हैं इस जमीन पर ग्राम बल्देववास के नूरू, मजीद, लल्लू, कल्लू, समसू, जुहरू, दीनू आदि लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इस हेतु अढ़ावली

गांव के लोगों ने उपखण्डाधिकारी डीग के यहां एक मेहनर नाचा पेश कर उक्त अतिक्रमण को रूकवाना चाहा तो इस पर प्रशासन ने मौके पर जाकर अतिक्रमण रोकना चाहा लेकिन मुस्लिम समुदाय के उपरोक्त लोगों ने जबरदस्ती रात्रि में पक्का व कच्चा निर्माण कर पुन: अतिक्रमण कर लिया अब वहां कमी भी सामुदायिक झगड़ा हो सकता है जो कि बहुत बड़ा रूप ले लेगा एवं बहुत बड़ी जनहानि होने का अंदेशा है।

अतः श्रीमानजी इस पर ठोस कार्यवाही कराते हुए अतिक्रमण को हटवाया जाएं एवं उक्त भूमि को कब्जा राज लिया जाए।

अनीता सिंह

(नगर)

जंगली सूअरों एवं जंगली गायों द्वारा खेती को नष्ट करने एवं जानलेवा हमला करने बाबत

महोदयजी,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र एवं आसपास के करीब 20 गांवों की खेती जंगली गायों व जगंली सूअरों के द्वारा नष्ट की जा रही है किसान अपनी खेती एवं जान को बचाने के लिए समूहों में रात-रात जागकर रखवाली कर रहे हैं एवं जंगली सूअरों द्वारा एक आदमी को मार दिया गया एवं तीन आदमियों को बुरी तरह से जख्मी कर घायल कर दिया गया।

मैं इस नियम के द्वारा माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से जानना चाहूंगा की इसकी रोकथाम के लिए एवं जंगली सूअरों को पकड़ने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो।

पूर्व में जंगली सूअरों द्वारा मृत श्री जोगाराम पुत्र सूआरामजी सीरवी वार्ड नं. 24 बिलाड़ा एवं घायल श्री तुलछाराम पुत्र रतनारामजी सीरवी, कानाराम पुत्र श्री झूंझाराम गुर्जर खारिया मीठापुर, किसानों को मुआवजा तुरंत प्रभाव से देना चाहिए।

अर्जुनलाल गर्ग

(बिलाड़ा)

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के द्वारा निर्मित निम्न सड़कों की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई बार कृषि मण्डी की खस्ता सड़कों की वजह से दुर्घटनायें घटित हुई हैं तथा लोगों को जान तक गवानी पड़ी है।

अतः सिरोही विधान सभा क्षेत्र की निम्न सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाया जावे अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर उनके द्वारा निम्न सड़कों की सम्पूर्ण मरम्मत कार्य यथाशीघ्र करवाये जावें:-

1.मड़िया से हालीवाड़ा—5.90 कि.मी.

2.उथमन से चूली – 2.80

3. चूली से राडबर – 1.70 कि.मी.

4.नारादरा से सवली – 2.00 कि.मी.

5.केशरपुरा से बेड़ा (पाली) - 5.80 कि.मी.

6. पालड़ी एम. से बारेवड़ा – 3.25 कि.मी.

7. फूंगणी से फूंगणी हनुमान मंदिर तक – 1.50 कि.मी.

8. मनादर से रेवाड़ा – 8.47 कि.मी.

ओटाराम देवासी
(सिरोही)

कोथून, तितरिया, छांदेलकला ग्राम में (चाकसू) 33 के.वी. के स्टेशन स्थापित करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, चाकसू में वर्तमान में बिजली का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। चाकसू विधान सभ क्षेत्र में कृषि व व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली दो-दिन में मुश्किल से एक घंटे आती है और घरेलू कार्यों के लिए तो एक-एक सप्ताह तक आंख मिचौली करती रहती है जिससे क्षेत्र के किसान व आम जनता बुरी तरह से प्रभावित है। साथ ही अध्ययन

करने वाले छात्रों को भी विपरीत परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ रहा है। अतः मेरा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से अनुरोध है कि बिजली की गम्भीर स्थिति को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोथून, तितरिया, छांदेलकलां में 33 केवीए के सब-स्टेशन स्थापित कराने की कृपा करें। साथ ही विधान सभा क्षेत्र में कृषि कार्यों, व्यावसायिक कार्यों व घरेलू कार्यों के लिए दी जा रही बिजली को भी कम से कम 8 घंटे दिलाने का आदेश प्रदान करें।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए आप उक्त ग्रामों में 33 केवीए के सब-स्टेशन अविलम्ब स्थापित कराने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करें।

सादर।

प्रोमिला कुण्डारा
(चाकसू)

परिशिष्ट-2

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 पर श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य की प्रति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारी मन से सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजट बनाने की प्रक्रिया कितनी लम्बी और जटिल है, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) से लेकर, उच्चतम स्तर तक के सभी अधिकारियों एवं मंत्रिमण्डल के सदस्यों का सक्रिय योगदान होता है। इस बिन्दु का यहां पर उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बजट पारित कराने में हमारी विधायिका (Legislature) की भूमिका को भी समझा जा सके।

गत दिनों सदन में जो गतिरोध की स्थिति बनी, उससे, हम विधायिका (Legislature) के रूप में, हमारे नैतिक उत्तरदायित्व को सम्भवतः सही तरीके से नहीं निभा सके। यह माना जाता है कि कार्यपालिका (Executive) के रूप में मंत्रिमण्डल के सदस्य केवल शासन के पक्ष को सदैव न्यायोचित ठहराने की चेष्टा में लगे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। मैं इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) के आधार पर यह कह सकता हूं कि सदन में स्वस्थ ढंग से यदि कोई भी मुद्दा किसी के द्वारा भी उठाया जाता है, तो शासन के लिए यह एक अच्छा अवसर होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी नीतियों की क्रियान्विति में अपेक्षित सुधार ला सकता है और यदि किसी भी प्रकार की कमी रह गई है तो उसे पूरा किया जा सके। हमने शायद इस अवसर को गंवा दिया है।

ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष के माननीय सदस्य ही मुद्दे उठा सकते हैं, बल्कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने क्षेत्रों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इस बात का अवसर नहीं मिल सका कि वे सदन में चर्चा के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर सकें ताकि हम हमारी भविष्य की नीतियों एवं कार्य-योजनाओं में इन बिन्दुओं को शामिल कर सकें।

मैं, लगभग पांच वर्ष पूर्व के उस समय को याद कर रहा था, जब पूर्ववर्ती सरकार ने शासन सम्भाला ही था और लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में लेखानुदान (Vote-on-account) लेने के पश्चात् परिवर्तित बजट

(Modified Budget) प्रस्तुत किया गया था। माननीय सदस्य उस समय की सदन की कार्यवाही का विवरण चाहे तो देख लें। हम तब विपक्ष में थे और हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था जिससे तत्कालीन सरकार किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस करती। इसके विपरीत आज जब हम शासन में हैं, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे विपक्षी दलों के साथी, एक स्वस्थ समालोचना के स्थान पर, ऐसा रुख अपनाये हुए हैं कि सदन में किसी भी गम्भीर विषय पर चर्चा ही नहीं हो सकती है।

सामान्य रूप से सदन में चर्चा के माध्यम से सरकार को बजट प्रस्तावों का फीड-बैक मिलता है किन्तु इस बार हमें अधिकांश फीड-बैक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से ही मिल सका है। बजट में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, कृषि व आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) तथा महिला विकास हेतु अनेक नये initiatives प्रस्तुत किये हैं ताकि राज्य के सर्वांगीण एवं inclusive विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमने रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने तथा अशक्त वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट को सभी वर्गों द्वारा सराहा गया है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि good governance के माध्यम से सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ target group तक पहुंच सके। यह तभी सम्भव होगा जबकि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा की जाये। इसके अतिरिक्त व्यवस्थाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन एवं इनका सरलीकरण भी आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में बजट में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक विभाग अपने आयोजना बजट की 3 प्रतिशत राशि 'सूचना प्रौद्योगिकी' (Information Technology) के क्षेत्र में उपयोग कर सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) का उपयोग करते हुए service delivery में सुधार लाना आवश्यक है ताकि आम आदमी और गांव के गरीब तक सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचायी जा सकें। Systems improvement के माध्यम से कर संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, साथ ही फिजूल के खर्चों पर नियंत्रण करना भी उतना ही आवश्यक होगा।

प्रायः यह देखा जाता है कि बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन में कई बार विलम्ब हो जाता है। अतः हमने यह निश्चय किया है कि आगामी

एक महीने के अन्दर ही आवश्यक स्वीकृतियां जारी हो जाएं तथा एक समयबद्ध रूप से उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी।

बजट में कई नई नीतियों एवं समितियों के गठन का उल्लेख किया गया है। कतिपय वर्गों में इनके सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की गई है कि ये केवल कागजी घोषणाएं बन कर न रह जाएं। मैंने अपने बजट में, इन नीतियों की घोषणा, गम्भीर सोच और चिन्तन के पश्चात् की है। हम सभी विभागों को ये निर्देश दे रहे हैं कि वे नई नीतियां बनाते समय हमारे राज्य की ground realities एवं सीमाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी नीतियां बनाएं जो व्यावहारिक हों और उनके क्रियान्वयन से निश्चित समय में ठोस परिणाम प्राप्त हो सकें।

सितम्बर, 2008 से उत्पन्न हुए global downturn का प्रभाव समूचे देश पर पड़ा तथा हमारा प्रदेश भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। वर्ष 2008-09 की हमारी राजस्व आय (Revenue Receipts) इस मंदी से प्रभावित हुई। वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से (Share in Central Taxes) में बजट अनुमानों (Budget Estimates) की तुलना में 880 करोड़ रुपये की कमी आयी। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) में, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (Stamps & Registration Tax) पर इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्ष 2008-09 में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (Stamps & Registration Tax) की वृद्धि दर केवल 2 प्रतिशत रह गई जबकि बजट अनुमानों (Budget Estimates) में वृद्धि दर 11 प्रतिशत से अधिक रखी गई थी।

वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों (Budget Estimates) में भी आर्थिक मंदी का प्रभाव यथावत है। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से (State's Share in Central Taxes) की वृद्धि दर 6.90 प्रतिशत एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) की वृद्धि दर 10.62 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से (State's Share in Central Taxes) की वृद्धि दर 26.14 प्रतिशत एवं राज्य के स्वयं कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) की वृद्धि दर 14.36 प्रतिशत थी।

राजस्व आय (Revenue Receipts) की वृद्धि दर में कमी आने एवं

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) में बढ़ोतरी होने के बावजूद हमने चालू वर्ष की योजना के आकार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बजट में चालू वर्ष की योजना का आकार 18635 करोड़ रुपये रखा गया है जो पिछले वर्ष की अनुमोदित योजना से 33 प्रतिशत अधिक है।

बढ़ी हुई योजना में वित्त पोषण (Financing) की व्यवस्था की जाकर तदनुसार बजट में इसके लिए समुचित प्रावधान कर लिया गया है। परिवर्तित बजट (Modified Budget) में 39.20 करोड़ रुपये का Budgetary surplus है, जिससे स्पष्ट है कि योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित है।

बजट में हमने, राज्य की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, एक दीर्घकालीन सोच के साथ योजनाएं प्रस्तुत की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रमुख समस्या मांग एवं उपलब्धता के बीच का अन्तर है, जिसकी वजह से हमें विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के लिए महंगी दरों पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। हमने नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है ताकि राज्य विद्युत उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके।

हमारे प्रदेश में पानी की कमी एक गम्भीर समस्या है। सिंचाई हेतु उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग की दृष्टि से जल संरक्षण (Water Conservation) के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अधिक से अधिक संसाधनों की व्यवस्था करते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

राज्य में चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से ग्रामीण एवं शहरी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा विभाग के तकनीकी पदों को भरा जा रहा है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा रहा है। गम्भीर रोगियों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 108 सेवा का विस्तार भी किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि गम्भीर बीमारियों की चिकित्सा सुविधा सभी मेडिकल कालेजों एवं अन्य जिला अस्पतालों में सुलभ हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि गरीब तबके के लोगों को भी specialized treatment सुलभ हो सके।

राज्य के विशाल क्षेत्रफल एवं छितरी हुई आबादी को देखते हुए सड़कों

के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें 250 तक की आबादी के सभी गांवों को नरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने की योजना प्रमुख है। ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु भी योजना तैयार कर World Bank से इसकी funding कराने का प्रयास किया जा रहा है। सड़कों के रख-रखाव एवं नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट में 1200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय हो सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को भी भरा जायेगा ताकि विद्यालयों के संचालन में कोई परेशानी नहीं हो।

शहरों एवं कस्बों के योजनाबद्ध विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। छोटे एवं मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 109 शहरों के मास्टर प्लान बनाये जायेंगे। शहरीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या कच्ची बस्तियां हैं जिनमें basic civic amenities भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। हमारा प्रयास कम कीमत के अधिक आवास उपलब्ध कराना है ताकि भविष्य में नई कच्ची बस्तियां नहीं पनपें। इसके साथ ही वर्तमान कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण के लिये अलग से विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है।

मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के आधार पर यदि ध्यान दिया जाये तो राज्य के human development index में सुधार लाया जा सकता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये बजट में 7 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से की जायेगी ताकि सभी सम्बन्धत विभागों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद हुई चर्चा एवं विभिन्न वर्गों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात कतिपय घोषणाएं की जा रही हैं:-

कर सम्बन्ध घोषणाएं

राज्य में गुड़ पर 4 प्रतिशत कर की वजह से ग्रामीण जनता को

इसकी मिठास में आ रही कमी को दूर करने के लिये मैं गुड़ को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

राज्य में गमछा कर मुक्त है लेकिन टावल पर 4 प्रतिशत कर लग रहा है। राज्य की आम जनता के दैनिक उपयोगिता की वस्तु टावल जिनका मूल्य 200 रुपये प्रति नग है, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

जूतों के ऐसे जोड़े जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 200 रुपये से कम है, अभी राज्य में कर मुक्त है, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 300 रुपये करना प्रस्तावित करता हूं।

राज्य में Tools की कर दर 4 प्रतिशत है। Power Tools तथा Tools के Parts की कर दर 14 प्रतिशत है। इस विसंगति को दूर करने के लिये Power Tools तथा Tools के Parts की कर दर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

बबूल, आम और शीशम की लकड़ी का उपयोग हस्तशिल्पियों द्वारा मुख्यतः Handicrafts बनाने में किया जाता है। अतः बबूल, आम और शीशम की लकड़ी के Handicrafts बनाने में उपयोग होने पर, इन लकड़ियों पर देय कर को 14 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

Rice Bran राज्य में 4 प्रतिशत से कर योग्य है। यह मुख्यतः पशु आहार होने से इसे कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में महिलाओं तथा हुनरमन्द कारीगरों द्वारा साड़ियों पर बन्धेज के साथ विभिन्न प्रकार के सजावटी कार्य जैसे एम्ब्रोयडरी, गोटा, सलमा, चूमकी, सितारा आदि घरेलू उद्योग के रूप में किया जाता है। ऐसे सजावटी कार्य हेतु आयातित तथा सिल्क की साड़ियों का उपयोग भी बहुतायत में होने लगा है। अतः मैं राज्य में सभी प्रकार की साड़ियों तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी कार्य की हुई साड़ियों को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

सेन्डस्टोन एवं अन्य सभी प्रकार के इमारती पत्थर पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत वैट लागू करने की घोषणा मैंने मेरे बजट अभिभाषण में की थी। गत सरकार द्वारा मार्बल एवं ग्रेनाइट पर कर दर 4 प्रतिशत निर्धारित की, परन्तु घड़ाई के काम आने वाले मार्बल को राहत नहीं दी गई। राज्य में मार्बल को काट कर डोम, जाली, झरोखा, खम्भे, प्रतिमा, बीम आदि बनाने की परम्परा एवं हुनर सदियों से है तथा ऐसे काम में भारी संख्या में कारीगरों को रोजगार मिलता है। चूंकि सभी इमारती पत्थर पर 4 प्रतिशत कर

दर से सम्बन्धत उद्योगों को बहुप्रतीक्षित राहत मिली है। अतः केवल घड़वा पत्थर को इससे वंचित करना न्यायोचित नहीं है। इस सम्बन्ध में समस्त भ्रान्तियों को विराम देने के लिये मैं यह घोषणा करता हूं कि घड़ाव मार्बल पर भी कर दर 4 प्रतिशत रहेगा।

भुजिया सहित सभी प्रकार के नमकीनों पर देय कर दर को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। इनको समाप्त करने के लिये समस्त branded अथवा un-branded नमकीन की कर दर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

आलू की कच्ची पपड़ी घर-घर में महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है तथा ऐसे उद्यमियों के द्वारा पपड़ी को खुले अथवा साधारण पेकिंग में बेचा जाता है। महिलाओं तथा लघु उद्यमियों के हित में आलू की कच्ची पपड़ी (unfried potato chips) को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

मैंने बजट अभिभाषण में पुरानी कारों पर इंजन क्षमता के अनुरूप करारोपण करने का प्रावधान किया था। मंदी से प्रभावित बाजार में पुरानी कार के अतिरिक्त पुराने भारी वाहनों की बिक्री भी होने लगी है। अतः समस्त प्रकार के used वाहनों की बिक्री पर 1000 सी.सी. तक एक मुश्त कर राशि 2000 रुपये एवं उससे अधिक क्षमता के हल्के वाहनों पर 5000 रुपये निर्धारित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पुराने भारी वाहनों की बिक्री पर एक मुश्त 8000 रुपये की कर राशि देय होगी।

व्यापारी वर्ग हेतु गत वित्तीय वर्ष में लागू की गई वाणिज्यक कर विभाग की Amnesty Scheme से, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे cases में कमी हुई है तथा राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। यह Scheme 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो जाने से व्यापारी वर्ग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाये। अतः Amnesty Scheme की अवधि 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

SEZ के लिए प्रोत्साहन

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए SEZ की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भारत सरकार के SEZ Act 2003 के मध्य कुछ विरोधाभास के कारण राज्य में नया SEZ Act लाया जाएगा। नये Act में SEZ की स्थापना हेतु भूमि रूपान्तरण पर मात्र 100/- रुपया शुल्क लगेगा तथा Developer एवं Co-developer को समान दर्जा दिया जाएगा। SEZ में स्थापित उद्योगों को 7 साल के स्थान पर 10 साल के लिए विद्युत शुल्क

छूट दी जाएगी। SEZ परिसर में स्थापित होटलों एवं मनोरंजक इकाइयों को विलासिता (100 प्रतिशत) एवं मनोरंजन कर (50 प्रतिशत) से 7 साल तक छूट मिलेगी। SEZ के लिए खरीदी गई भूमि तथा बाद में उनकी लीज पर अन्तरण, मुद्रांक शुल्क से मुक्त होगा। ऐसे उद्योग जो किराये के भवन में स्थापित होंगे उनके किरायानामा भी मुद्राक शुल्क से मुक्त होगा।

मुआवजे में आबंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना

वर्तमान में अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में आबंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना आरक्षित दर के आधार पर की जाती है। यह राशि काफी अधिक होती है। काश्तकारों द्वारा इसे कम करने की मांग की जाती रही है। काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकरणों में, आबंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना नियमन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानकर की जाएगी। इससे काश्तकारों को लीज राशि भुगतान में औसतन 75 प्रतिशत की राहत प्राप्त हो सकेगी। यह छूट लीज रेंट एक मुश्त 8 वर्ष के लिए जमा करवाये जाने पर देय होगी।

अन्य घोषणाएं

जैसलमेर में नया यू.आई.टी.

राज्य की सीमा पर विश्वविख्यात शहर जैसलमेर के सुनियोजित विकास के लिये यू.आई.टी. के गठन की घोषणा करता हूं।

नरेगा कार्यों का Performance Audit

देश के करोड़ों गरीब एवं जरूरतमंद जनता के लिये नरेगा एक अभूतपूर्व सफलता के साथ वरदान साबित हुई है। साथ ही, नरेगा के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी हजारों कार्यों को भ्रष्टाचार मुक्त रखना एक गम्भीर प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है। गत सरकार द्वारा नरेगा कार्यों का क्रियान्वयन में पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित नहीं की, जिससे भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। गांव-गांव में बिचौलिये सक्रिय हो गये तथा पंचायतीराज संस्थाओं के लिये स्वच्छ छवि को बनाये रखना कठिन हो गया।

हम सभी के लिये नरेगा जैसे कार्यक्रम में अनियमितताएं गम्भीर चिन्ता का विषय है। इतने भारी संसाधनों का सदुपयोग के लिये फूलप्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। अतः मैं घोषणा करता हूं कि राज्य में नरेगा कार्यों पर सशक्त निगरानी रखने के लिए आंध्रप्रदेश के पेटर्न पर Performance

Audit (निष्पादन अंकेक्षण) का पूर्ण एवं विस्तृत प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम स्तर से लेकर राज्य के सर्वोच्च स्तर तक अत्याधुनिक आई टी तकनीक के साथ एक मजबूत तन्त्र विकसित किया जाएगा जिस पर वार्षिक लगभग 15 करोड़ रुपसे खर्च आएगा। Performance Audit को सशक्त बनाया जाएगा।

नये न्यायालयों की स्थापना

जिन स्थानों पर 5000 से अधिक प्रकरण Negotiable Instruments Act के तहत pending हैं, वहां पर 14 नये न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अन्तर्गत जयपुर शहर में 5, जोधपुर एवं उदयपुर में 2-2 तथा कोटा, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में प्रत्येक में 1 न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित है।

भूतपूर्व विधायकों के लिए घोषणाएं:-

(अ) वर्तमान 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन में वृद्धि कर पेंशन प्रति माह 5000 रुपये की जाएगी। अन्य प्रावधान पूर्ववत् होंगे।

(ब) भूतपूर्व विधायक के देहान्त के पश्चात् उनकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी, जो भूतपूर्व विधायक को देय पेंशन राशि की 50 प्रतिशत होगी।

(स) भूतपूर्व विधायकों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट होगी। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

वर्तमान विधायकों के लिए घोषणाएं:-

(अ) विधायकों का वेतन 5000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह होगा।

(ब) सभी विधायकों को अधिकतम 50000 रुपये तक की कीमत का लेपटोप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि गत विधान सभा के दौरान किया गया था।

(स) विधान सभा सत्र एवं विधान सभा की समितियों की बैठक में उपस्थिति हेतु विधायकों का भत्ता 400 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।

(द) जिन विधायकों द्वारा जिला पूल के वाहन की सुविधा का उपभोग नहीं किया उनको किराये का वाहन लेने पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह वाहन भत्ते का पुनर्भरण प्रस्तुत बिलों के आधार पर किया जाएगा।

हमारे इस बजट के माध्यम से राज्य के दीर्घकालीन विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा। मैं यह भी आशा करूंगा कि राज्य में सभी समुदाय एवं वर्गों के मध्य भाइचारा बना रहेगा तथा ऐतिहासिक रूप से हमारे राज्य की जो गरिमा रही है उसे किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी।

मैं आशा करता हूं कि आम आदमी, गरीब एवं गांवों को समर्पित हमारा यह बजट, आप सभी के सक्रिय सहयोग से, प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) एवं वित्त विधेयक (Finance Bill) को पारित किया जाये।